गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं

हमारे गांव सदियों से बीमारी, भुखमरी और निरक्षरता का शिकार रहे हैं परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जितने प्रयास गांवों से भुखमरी और निरक्षरता मिटाने की दिशा में किए गए उतने बीमारी की रोकथाम और चिकित्सा की दिशा में नहीं किए गए। मलेरिया अभियान चलाया गया और कई वर्ष तक ग्रामीण जनता इसके प्रकोप से मुक्त रही पर मलेरिया महारानी फिर आ धमकी है और इस वर्ष तो इसके प्रकोप के फलस्वरूप देश में धन-जन की अपार क्षति हुई है। चेचक अभियान चलाया गया और इसके फलस्वरूप चेचक की रोकथाम की दिशा में भी काफी कुछ हुआ है पर जरूरत इस बात की है कि जिस तरह प्लेग पर स्थायी रूप से काबू किया गया है उसी तरह इन महामारियों के प्रकोप पर भी स्थायी रूप से काबू पाया जाय।

जहां एक ओर बीमारियों की रोकथाम की दिशा में कदम तेज करने की जरूरत है वहां दूसरी ओर बीमारियों के इलाज-उपचार की दिशा में तेजी लाने की जरूरत है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने दिनों बाद भी हमारे गांवों में वर्तमान वैज्ञानिक तरीकों (एलोपैथिक प्रणाली) से इलाज-उपचार की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं। इस दिशा में जो नई-नई वैज्ञानिक गन्वेषणाएं की गई हैं उनके लाभ से हमारे ग्राम वासी सर्वथा वंचित हैं और हारी-बीमारी की अवस्था में उन्हें गांवों के नीम-हकीमों का ही सहारा लेना पड़ता है। गांवों के इन नीम-हकीमों में भी एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो पेंसिलिन आदि ऐलोपैथिक दवाओं का सही प्रयोग तो जानता नहीं पर मरीजों पर उनका प्रयोग करता है। रोग के निदान की भी उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। नतीजा यह होता है कि उनके इलाज-उपचार से बहुत से मरीज अकाल में ही काल के ग्रास बन जाते हैं।

हम यह चर्चा बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं कि मेडीकल कालेजों में छात्रों पर राष्ट्र का बहुत खर्चा होता है और उसका लाभ गांवों को भी मिलना चाहिए। पर जैसे ही मेडीकल कालेज का छात्र डाक्टर बनकर कालेज से निकलता है—वह गांव की तरफ मुंह भी नहीं करना चाहता वहां उन्हें जो शिक्षा दी जाती है उसमें सेवा की भावना का अंश भी नहीं होता। ग्रामीणों की सेवा के लिए जब उनसे गांवों में जाने और रहने सहने के लिए कहा जाता है तो वे वहां साधन-सुविधाओं के अभाव का रोना रोने लगते हैं।

कहने का अर्थ यह है कि इन डाक्टरों की शिक्षा-दीक्षा पर सरकार का जो खर्चा होता है उसका सारा लाभ कस्बों, शहरों और महानगरों को ही मिलता है और वहां भी इन डाक्टरों में धन कमाने की लालसा ही प्रधान होती है जबकि सेवा का स्थान गौण होता है। बहुत से तो इनमें पैसा कमाने की लालसा से विदेश जाते हैं। अत: इन डाक्टरों की शिक्षा-दीक्षा में सेवा-भावना का अंश होना जरूरी है।

यह खुशी की बात है कि हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा० कर्णसिंह अब इस दिशा में विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने योजना आयोग के सदस्य श्री शिवरामन की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है जो गांवों में जाकर काम करने वाले डाक्टरों का एक अ० भा० दल बनाने से सम्बद्ध सभी पहलुओं पर विचार करेगी। यह समिति चीन की सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विशेष रूप से अध्ययन करेगी और यह देखेगी कि 'नंगेपैर' डाक्टरों की व्यवस्था भारत में भी किसी न किसी रूप में जा सकती है अथवा नहीं। डा० कर्णसिंह का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ नीति का निर्धारण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य मेडीकल शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि गांवों में जो डाक्टर भेजे जाएंगे उन्हें सहायता देने के लिए ग्रामीण समुदाय के लोगों को ही स्वास्थ्य, सफाई तथा साधारण दवाओं के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह योजना व्यावहारिक है और इससे ग्रामीण जनता को अवश्य ही राहत मिलेगी। पर इस व्यवस्था में आयुर्वेद तथा होम्योपैथिक चिकित्सा-प्रणालियों को भी समुचित स्थान मिलना चाहिए क्योंकि जिन रोगों की चिकित्सा में ऐलोपैथिक विफल है उन रोगों में चिकित्सा प्रणालियां को काम में लाया जा सकता है।

गांवों में लोगों के स्वास्थ्य गिरने का एक कारण यह भी है कि वहां लोगों का खान-पान बिगड़ गया है। वहां शराब की नालियां बहने लगी है, चायपान का भी निहायत जोर है तथा हुक्का पीने की जगह बीड़ी-सिगरेट ने ले ली है। गुड़ और बूरा की जगह चीनी का बोल बाला है।

यह कहना असंगत होगा कि हमारे गांव आज भी कस्बों, शहरों और महानगरों के उपनिवेश मात्र हैं और उनकी तरह-तरह की जरूरतें पूरी करते रहते हैं। गांवों के दूध-घी, शाक-सब्जियां आदि पौष्टिक पदार्थ सभी शहरों की ओर खिंचे चले आते हैं जबकि जो गांव वाले इन्हें पैदा करते है वे इनसे वंचित रह जाते हैं। फिर सूखी रोटी खाकर वे अपने को कैसे हृष्ट-पुष्ट बना सकते हैं। खान-पान और रहन-सहन बिगड़ने तथा पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण हमारे इन ग्रामवासियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो गया है। हमारा देश गांवों का देश है और हमारे विकास के अधार भी हमारे गांव ही हैं। अत: जरूरी है कि देश की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए हम अपने गांवों के लोगों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें।

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

*

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

*

'कुरुक्षेत्र' का एजन्सी लेने, ग्राहक बनाने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस नई दिल्ली-1 से कीजिए।

*

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपए

सम्पादक : पी० श्रीनिवासन

स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : पारस नाथ तिवारी

[illegible] : बलराम मण्डल

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22 पौष 1898 अंक 3

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

गांधीजी का स्वदेशी का सिद्धान्त **प्यारे लाल**	2
हमारी शिक्षा कैसी हो ? **हर प्रसाद टंडन**	4
विदेशों में हिन्दी अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था **प्रो० हरबंश लाल शर्मा**	5
बढ़ रहा कारवां उत्तर प्रदेश का **डा० रामकृष्ण कौशिक**	8
पक्का इरादा (लघु-एकांकी) **डा० कृष्णमुरारी शर्मा**	10
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास **शंकर घोष**	13
हमारी सात पीढ़ियां इन्दिरा जी की जय बोलेंगी	15
हास्य कथा—असर **रमेश तिवारी 'वीरान'**	17
ईंधन का ईंधन और खाद की खाद **हरिश्चन्द्र सिंह**	18
जल संसाधन उपयोग और प्रशासन **निरंकार सिंह**	20
आदर्श ग्राम रूपाखेड़ा **रमाशंकर त्रिपाठी**	22
गर्भ-निरोधक विधि : प्राचीन और मध्यकाल	24
गांव की रंगत (कविता) **गजराज सिंह खरे 'निर्भीक'**	24
पाठकों की राय: ऋण मुक्ति ग्रामीणों में आशा की लहर **ओम प्रकाश शर्मा**	25
सही दाम पे चीजें मिलतीं (कविता) **सलीम अश्क**	26
कुरुक्षेत्र के बारे में पाठकों के पत्र	27
राज्यों के समाचार	29
केन्द्र के समाचार	32
साहित्य समीक्षा	33
टप्परीवासों के दिन फिरे	आवरण 3 और 4

गांधीजी का स्वदेशी का सिद्धान्त

प्यारे लाल

स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रत्येक देश के लिए स्वदेश में बनी वस्तुओं या स्वदेशी की भावना के प्रति प्रेम संघर्ष का एक आवश्यक चरण रहा है।

स्टाम्प अधिनियम को रद्द करने के बारे में किए गए एक प्रश्न के उत्तर में हाउस आफ कामंस की एक समिति के सामने पेश होने पर 1976 में बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछा गया "अमरीकी किस बात पर गर्व किया करते थे ?"

"ग्रेट ब्रिटेन के फैशनों और उत्पादों को अंगीकार करने में"

इसके बाद उनसे पूछा गया, "अब उनके लिए गौरव का विषय क्या है ?"

"जब तक नए वस्त्र बनाने की स्थिति में न हो, तब तक अपने फटे पुराने कपड़ों को फिर से पहनना।"

जार्ज वाशिंगटन की फौज को "द होम सन्स" कहकर भी पुकारा जाता था। वे इसे प्रशंसा का सूचक मानकर गर्व के साथ स्वीकार करते थे। हमें बताया कि जब जार्ज वाशिंगटन ने अमरीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो उस समय उन्होंने सिर से लेकर पांव तक अमरीका में ही, अधिकांश रूप से माउंट वर्नन में, तैयार किए गए वस्त्र पहन रखे थे।

स्वदेशी आन्दोलन का प्रसार

हमारे अपने देश में बंगाल विभाजन के पश्चात् स्वदेशी आन्दोलन का बढ़ना राष्ट्रवादिता के लिए किए गए संघर्ष के इतिहास में एक सुनहरी घटना है। व्हाईटहाल के दबाव में आकर जब लार्ड रिपन ने लंकाशायर के कपड़े पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया तो इसका विरोध करने के लिए प्रसिद्ध विधिशास्त्री और वाईसराय की परिषद में मनोनीत सदस्य विश्वनाथ नारायण मंडलीक मोटी खादी के बने कपड़े पहन कर परिषद में उपस्थित हुए। कलकत्ता के एक कालेज के विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाएं लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनमें विदेश में तैयार किए गए कागज का उपयोग किया गया था। तब छात्रों को स्वदेशी कागज से तैयार उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गईं। बच्चों ने अपने जन्म दिवस पर विदेश में बने खिलौनों को लेना या विदेश में तैयार जूतों को पहनना बन्द कर दिया। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में देसी वस्तुओं का उत्पादन फिर से आरम्भ करने के लिए अपना प्रसिद्ध 'पैसा कोष' आरम्भ किया। बाल-लाल-पाल के त्रिगुट को पूरा करने के लिए बी० सी० पाल और लाला लाजपतराय ने लोकमान्य द्वारा चलाए गए स्वदेशी अभियान में अपना सहयोग दिया।

ब्रिटेन में बने कपड़ों का बहिष्कार

ब्रिटेन में बने कपड़ों के बहिष्कार को प्रभावी बनाने के लिए बंगाल में जनता के चन्दे से बंग लक्ष्मी वस्त्र मिल चालू की गई। आदर्शवाद की प्रथम लहर के बाद मिल मालिकों की मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति ने उनकी स्वदेशी की भावना पर काबू पा लिया और स्वदेशी भावना धीरे-धीरे समाप्त होती गई।

स्वदेशी के बारे में गांधीजी का विचार

मूल रूप से स्वदेशी आन्दोलन का आशय स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए इसका बचाव के उपाय और ब्रिटेन में बने सामान का बहिष्कार कर ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए राजनीतिक और आर्थिक हथियार के रूप में प्रयोग करना था। महात्मा गांधी ने इस आन्दोलन के उग्रराष्ट्रीयतावादी तत्वों को दूर करके, इसके आधार को विस्तृत करके और इसमें एक मानवतावादी या आत्मिक दृष्टिकोण को शामिल करके इसे पुनर्जीवित किया। आन्दोलन के विषय की तह में जाकर उन्होंने यह घोषणा की :

'स्वदेशी में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है···स्वदेशी का सच्चा रूप सबकी सेवा की चरम सीमा है। स्वदेशी का सच्चा समर्थक किसी के भी प्रति विरोधी भावना से प्रेरित नहीं होगा··· स्वदेशी ऋण की विचारधारा नहीं है। यह निःस्वार्थ भाव से सेवा करने का सिद्धान्त है जिसकी जड़ें वास्तविक अहिंसा अर्थात् प्रेम में समाई हुई है।

स्वदेशी आन्दोलन से उग्रराष्ट्रवादिता के तत्व दूर करने से इस आन्दोलन को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिली। इससे पहले इसे सही परिप्रेक्ष्य में न रखे जाने के कारण ही मिल मालिक देश भक्ति की भावना का शोषण करने में सफल हो सके थे।

पहले गैर अधिवासी यूरोपियों द्वारा संचालित मिल को जिनमें विदेशों के दक्ष कर्मचारी और मशीनें भी लगी होती थीं, भारतीय उद्योग समझा जाता था यद्यपि वे आम जनता के लिए हानिकारक हो सकती थी। गांधीजी ने फिर से व्याख्या कर यह बताया कि भारतीय उद्योग स्पष्ट रूप से ग्राम जनता के हित में होना चाहिए। इसमें लगी पूंजी और मशीनें भी भारतीय होनी चाहिए और साथ ही इसमें काम करने वाले मजदूरों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए। उन्हें आरामदायक आवास की सुविधा भी दी जानी चाहिए। मालिकों द्वारा श्रमिकों के बच्चों के कल्याण की गारण्टी दी

जानी चाहिए। नई परिभाषा के अनुसार लाखों लोगों के हितों को पूरा करने वाली कोई भी वस्तु स्वदेशी हो सकती थी चाहे उसमें पूंजी और श्रम विदेशी ही क्यों न हो बशर्ते कि वे प्रभावी भारतीय नियन्त्रण में हों। इस प्रकार खादी सच्ची स्वदेशी होगी चाहे इसमें लगी पूंजी विदेशी हो और भारतीय मंडल ने पश्चिमी विशेषज्ञ भी नियुक्त क्यों न कर रहे हों। इसके विपरीत किसी भी व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाने वाले रबड़ के या अन्य जूते विदेशी होंगे "चाहे उन्हें तैयार करने के लिए भारतीय श्रमिक लगे हों और पूंजी भी भारत की हो।" नहीं, बल्कि यह तो 'दुगनी विदेशी होगी' क्योंकि इसका नियन्त्रण विदेशी हाथों में होगा और तैयार वस्तु चाहे कितनी भी सस्ती क्यों न हो, उससे गांवों में चमड़ा कमाने वाले और गांव के चमार बेकार हो जाएंगे।

स्वदेशी के आधार का विस्तार

स्वदेशी के आधार का विस्तार करने के लिए गांधीजी इस बात पर जोर देते थे कि जिस प्रकार देशी उद्योग वरीयता के हकदार होते हैं और विदेशी उत्पादकों से उनकी रक्षा की जाती है, उसी प्रकार कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को भी मशीन से बने सस्ते सामान, चाहे ये देसी हों या विदेशी, से संरक्षण मिलना चाहिए। शहरों द्वारा गांवों के शोषण पर रोक लगनी चाहिए। शहरों को ग्रामीण क्षेत्र के फालतू माल के एम्पोरियमों के रूप में काम करना चाहिए।

गांव की दस्तकारी का संरक्षण

इस प्रकार जब कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार बनाई और प्रान्तों में अपनी सरकारें बनाईं तो गांधी जी ने लोकप्रिय मन्त्रियों से कहा कि यह वे हृदय से मानते हैं कि उन्होंने ग्राम जनता के रक्षकों और उनके हितों के प्रतिनिधियों के रूप में यह कार्यभार संभाला है, तो वे जो भी काम करें उसमें गांवों में बसी देश की लगभग अस्सी प्रतिशत जनता के प्रति चिन्ता का भाव होना चाहिए। उन्हें मिल मालिकों से अपने वस्त्र व सूत के उत्पादन को केवल अच्छी किस्म तक ही सीमित रखने को कहना चाहिए। ग्रामवासियों की आवश्यकता के लिए साधारण और मोटे किस्म के कपड़े के उत्पादन का पूरा काम हाथ से कताई करने वालों और हाथ से बुनने वालों के लिए छोड़ा जाना चाहिए। यदि मिल मालिक मोटे किस्म का कपड़ा या सूत तैयार करते भी है तो यह उत्पादन केवल पड़ोसी देशों की आवश्यकता पूर्ति के लिए निर्यात करने के लिए ही किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मन्त्रियों द्वारा ग्रामीणों को यह सूचना दी जानी चाहिए कि एक निर्धारित सीमा निश्चित किए जाने के बाद वस्त्र मिलों से उन्हें कोई वस्त्र नहीं दिया जाएगा या उन्हें बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उन्हें निश्चित तिथि तक वस्त्र और सूत की सप्लाई के बारे में अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेना चाहिए। सरकार को उन्हें ऋण, उपकरण, कच्चे माल, विपणन संगठन, प्रशिक्षित कर्मचारी और सुविज्ञ परामर्श के रूप में सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उन्हें अपने आसपास बिजली से चलने वाली मशीनें या हाथ से कुटे चावल, हाथ से पिसा आटा, कोल्हू से निकले खाने के तेल, गुड़ आदि जैसे गांव में तैयार किए जाने वाले सामान के साथ प्रतियोगिता करने वाली मशीन से तैयार वस्तुओं को न रखने की छूट अवश्य दी जानी चाहिए।

गांधीजी ने यह भविष्यवाणी की थी कि यदि शासक और विशिष्ट वर्ग अपनेजीवन में स्वदेशी की भावना को साकार रूप दें और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भरता और अपनी मदद आप करने के लक्ष्य का अनुभव कराने के लिए हमारे युवकों में आदर्श, उत्साह और शक्ति का संचार करे तो लाखों लोगों के जीवन में एक नई लहर आएगी और उनका भविष्य अच्छा होगा। बहुत ही थोड़े समय में हम ऐसे सुनहरे युग में प्रवेश करेंगे जिसमें भारतीय समुदाय समर्थ होगा और यहां की जनता अपने भाग्य की स्वयं निर्माता होगी। यह चुनौती अभी पूरी की जानी बाकी है।

जहां चाह वहां राह

जयपुर से प्राप्त एक सूचना के अनुसार प्रधानमन्त्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा से प्रोत्साहित होकर उदयपुर जिले में गांव गुडा की प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक श्री भगवान दास के मन में खुद भी कुछ कर दिखाने की चाह उठी। उन्होंने अनपढ़ों को पढ़ाने का निश्चय कर लिया।

गांव गुडा के आसपास के इलाके में अधिकतर आबादी गाडिया लुहारों की है। भगवान दास ने इन लोगों और समीप के अन्य गांवों के लोगों से धीरे-धीरे सम्पर्क बढ़ाया और अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिए।

शीघ्र ही उन्होंने अपने घर पर ही प्रतिदिन सायंकाल गरीब गांव वालों के और गाडिया लुहारों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों मे इन बच्चों की पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो गई। भगवान दास के सहानुभूतिपूर्ण व मित्रतापूर्ण व्यवहार से गाडिया लुहारों के और अधिक बच्चे पढ़ने आने लगे और इस नए स्कूल में बच्चों की संख्या 18 तक हो गई। अध्यापक भगवान दास ने अपने साथियों की मदद से कुछ धन इकट्ठा करके अब विद्यार्थियों के लिए खाकी वर्दियां बनवाईं जिससे वे फटे-पुराने कपड़ों के स्थान पर वर्दियां पहन कर पढ़ने आ सकें।

अध्यापक के उत्साह और बच्चों की लगातार पढ़ाई देखकर गांव के अनपढ़ प्रौढ़ों में भी पढ़ने की चाह जाग उठी और वे भी धीरे-धीरे भगवान दास के पास नित्य पढ़ने आने लगे। एक वर्ष के भीतर भगवान दास ने यहां के लगभग 120 गरीब अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों और प्रौढ़ों को पढ़ना-लिखना सिखा दिया।

हमारी शिक्षा कैसी हो ? ★ हर प्रसाद टंडन

शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि युवक शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं। सामान्यतया युवक रोजगार पाने के लिए शिक्षा लेता है। एक ग्राध प्रतिशत युवक ऐसे हो सकते हैं जो केवल ज्ञान अर्जन के लिए ही शिक्षा लेते हैं। वे भी धनी सम्पन्न परिवारों के युवक होंगे जिन्हें धन उपार्जन की ग्रावश्यकता न होगी। रोजगार पाने वाले वर्ग में भी अधिकांश युवक नौकरी चाहते हैं। केवल थोड़े-से ऐसे हैं जो अपना धंधा खुद चलाना चाहते हैं। अतः शिक्षा का नौकरी व धंधे से सीधा सम्बन्ध होना चाहिए अर्थात जो युवक नौकरी करना चाहता है उसे नौकरी में काम ग्राने वाली शिक्षा ग्रौर जो धंधा शुरू करना चाहता है, उस धंधे के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अगर कोई युवक क्लर्क बनना चाहता है तो उसे रसायन शास्त्र पढ़ाने से क्या लाभ ? उसे पत्र लिखने, फाइल रखने, जनता से सम्बन्ध रखने ग्रादि की शिक्षा दी जाए। दूसरी ग्रोर यदि कोई दुकान पर काम करना चाहता है तो उसे विक्रेता, हिसाब-किताब, इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स ग्रादि की शिक्षा मिलनी चाहिए। आशय यह है कि किसी भी शिक्षा का दुरुपयोग होता है तो उसे ग्रहण करने वाले में उसके प्रति न केवल उदासीनता ही पैदा होती है बल्कि विद्रोह की भावना भी उभरती है। युवक को केवल उपयोग में ग्राने वाली शिक्षा दी जाए।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह विशिष्ट शिक्षा किस सोपान से दी जाए। क्या अन्य विषयों की शिक्षा बिल्कुल न दी जाए ? अथवा युवक को देश-विदेश को जानने समझने के लिए एक सीमा तक सभी सामान्य विषयों की शिक्षा दी जाए। मेरे विचार से हाई स्कूल तक प्रत्येक विद्यार्थी को भाषा, सरल गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्मग्रंथों का सार (सभी धर्मों का) तथा शिष्टाचार एवं नागरिकता की शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक ग्रौर नैतिक शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हमारे युवक मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक दृष्टि से भी परिपुष्ट बनें। इसके बाद, इन्टर में विद्यार्थी को विशिष्ट शिक्षा दी जाए। केवल यही नहीं बल्कि इस सोपान पर यह निश्चय किया जाए कि किस रोजगार के लिए कितने युवकों को शिक्षा दी जाए। इसके लिए यह ज्ञात करना होगा कि प्रतिवर्ष कितने डाक्टर, इन्जीनियर, फिटर, क्लर्क, तार व टेलीफोन ग्रापरेटर, इलेक्ट्रिशियन, बैंक मैनेजर ग्रादि के स्थान खाली होते हैं। यह वर्गीकरण बहुत विशद होना चाहिए जिससे युवक को अपना रोजगार छांटने में कठिनाई न हो। शिक्षा संस्थाओं में ग्रावश्यक रूप से 10-15 प्रतिशत तक व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान हो। इससे अधिक न हो। इस प्रकार 'बरसाती' स्कूल खुलने से जो 'शिक्षितों' की बाढ़ ग्रा गई है वह बंद हो जाएगी तथा शिक्षा उसी को मिलेगी जो उसके योग्य होगा। इसके साथ ही साथ एक वर्ष के उपरान्त यह निर्णय भी ले लिया जाएगा कि प्रत्येक विषय में उपयुक्त विद्यार्थी है या नहीं। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कुछ अयोग्य हैं तो उन्हें दूसरे रोजगार के लिए बिना अधिक समय खोए बदलने का अवसर होगा।

हर रोजगार के लिए शिक्षा की एक शृंखला बनानी होगी। इस समय जैसे इन्टर, बी० ए०, एम० ए० हैं उसी प्रकार इन्जीनियरी के रोजगार में फिटर, मैकेनिक, ग्रोवरसियर, इन्जीनियर की शृंखला हो। जो अच्छा फिटर/मकैनिक हो, उसे ही ग्रोवरसियर की शिक्षा मिले, जो अच्छा ग्रोवरसियर हो उसे इन्जीनियर की शिक्षा मिले। इस प्रकार ऊंचे पद के लिए विशेष योग्यता वाले छात्र ही शिक्षा के लिए चुने जाएंगे तथा ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए रोजगार की सारी जानकारी प्राप्त करना जरूरी होगा। इस प्रकार से ऐसे इन्जीनियर नहीं बनेंगे जो अपने हाथ से काम करना ही न जानते हों।

ग्राजकल परीक्षा एक समस्या है और मजाक भी। खुली नकल तो है ही, साथ साथ अन्य भ्रष्टाचार भी हैं। अतः परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर देना ही अच्छा है। शिक्षा संस्थाएं केवल यह प्रमाण दें कि अमुक युवक ने इतने दिन शिक्षा ली है तथा विषय में इन बातों की जानकारी दी गई है। रोजगार देने वाला (यदि नौकरी करनी है तो) स्वयं परीक्षा लेकर चयन कर लेता। ग्राज भी अच्छे रोजगारदाता यही कर रहे हैं तब फिर परीक्षा का खर्चा, मेहनत, जोड़तोड़ किस लिए ? इससे कागज स्याही, स्टेशनरी, डाक व्यवस्था पर भार, टिकट खर्च ग्रादि में कितनी कमी आएगी। साथ ही साथ जो हड़तालें व वाक ग्राउट व मारपीट हर साल परीक्षा में होती हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा।

एक ही व्यवसाय में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य होना आवश्यक है, पर योग्यता का मापदंड क्या हो ? जब परीक्षा ही नहीं होगी तो किस प्रकार योग्यता को नापा जाएगा ? मूल्यांकन की कोई न कोई कसौटी रखनी होगी ग्रौर वह ऐसी हो जिसमें परीक्षा के दोष न हों। यह मूल्यांकन दो प्रकार हो सकता है (1) शिक्षा में ली गई रुचि व परिश्रम का सूचक है। (2) शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप योग्यता वृद्धि का सूचक। प्रथम संकेतक के लिए विद्यार्थी के हर दिन के कार्य की जांच हो। उसने किस प्रकार के नोट्स लिए हैं। प्रायोगिक का रिकार्ड किस प्रकार रखता है—कक्षा में उदासीन रहा है अथवा रुचि ली है, ग्रादि। योग्यता वृद्धि के सूचक के रूप में व्यावहारिक कार्य की निरन्तर जांच हो। व्यावहारिक कार्य जो उसे ग्रागे चलकर करना है उस पर अधिक बल हो तथा यह देखा जाए कि यह किस श्रेणी का है। यदि शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप इस श्रेणी की उत्तमता बढ़ती है तो योग्यता बढ़ी है अथवा नहीं। उदाहरणार्थ एक कलर्क के पत्र

(शेष पृष्ठ 7 पर)

विदेशों में हिंदी—अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था ★ प्रो० हरबंश लाल शर्मा

भारत की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में है। हमारी विशाल जनता के विभिन्न रस्म-रिवाजों, संस्कारों, संस्कृति, साहित्य और भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास प्राचीन काल से निरंतर होते रहे हैं। विगत 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बहुत-से भारतीय शर्तबंदी कानून के अन्तर्गत राष्ट्र मंडलीय देशों में गए और उसकी समाप्ति के बाद वहीं बस गए। उन कई देशों में उनके वंशज आज सत्ता में हैं और वे अपने पूर्वजों के साहित्य, संस्कृति और भाषाओं के प्रचार-प्रसार में सक्रिय योग दे रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद विश्व में भारत की राजनीतिक प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़े हैं। अपनी बढ़ती हुई आर्थिक और औद्योगिक क्षमता के फलस्वरूप हमने विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापारिक सम्बंध स्थापित किए हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम है कि भारत की राजभाषा हिंदी के पठन-पाठन की व्यवस्था आज विश्व के बहुत-से देशों में विद्यमान है जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

सोवियत रूस में लगभग 5,000 विद्यार्थी स्कूलों में और लगभग 300 विद्यार्थी 8 विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा पा रहे हैं। 1917 से रूस में हिंदी के प्रचार-प्रसार के अनेक व्यावहारिक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। रूस में "इंस्टिट्यूट आफ ईस्टर्न लेंग्वेजेज", "मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी" आदि अनेक विश्वविद्यालय हिन्दी में शिक्षण दे रहे हैं। ताशकंद का एक हाई स्कूल हिन्दी को अनिवार्य रूप से पढ़ाने में व्यस्त है। लेनिनग्राद विश्वविद्यालय की ओरियेंटल फैकल्टी से शिक्षा प्राप्त स्नातक तथा मास्को और ताशकंद में शिक्षित नवयुवक हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। रूसी लोगों की हार्दिक इच्छा है कि वे हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करें।

रूस में इस बात का आग्रह किया जाता है कि भारत से सम्बन्धित आदान-प्रदान के सरकारी मसविदों तथा पत्रव्यवहारों में हिन्दी का प्रयोग किया जाए। रूस में हिन्दी पढ़ाने के लिए भारतीय और रूसी दोनों अध्यापक हैं। रूस में हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं। वारान्निकोव और ताशकंद की आका आउलवा ने व्याकरण की पुस्तकों की रचना की है जो अध्यापन के लिए सुगम संदर्भ ग्रंथ हैं। कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण का भी रूसी भाषा में अनुवाद हो चुका है। सोवियत जनता भारतीय साहित्य में अत्यधिक रुचि ले रही है। सोवियत काल में सोवियत संघ के जनगण की 32 भाषाओं में 100 से अधिक भारतीय लेखकों की कोई 700 पुस्तकों के 2.6 करोड़ प्रतियों से अधिक के संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रसिद्ध रूसी विद्वान वारान्निकोव ने "रामचरित मानस" तथा "प्रेम सागर" का रूसी अनुवाद किया है। स्व० प्रेमचन्द की लगभग 16 रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। हिन्दी के प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन, दिनकर, यशपाल, जैनेन्द्र आदि अनेक लेखकों की रचनाएं अनूदित हो चुकी हैं। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, भारत की भाषा-विषयक समस्याएं आदि विषयों पर शोधकार्य भी हो रहा है। श्री सुमित्रानंदन पंत को 'लोकायतन' पर, डा० बच्चन को 'पुश्किन के बोरिस पास्तर" नामक उपन्यास पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। रूस के अनेक पुस्तकालयों में हिन्दी के प्रमुख और प्रसिद्ध ग्रंथ उपलब्ध हैं।

हिन्दी की भारतीय फिल्में सोवियत संघ में अधिक लोकप्रिय हो रही हैं। प्राय: रूस के बालक हिन्दी फिल्मों के गीत गुनगुनाते देखे जाते हैं।

चैकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में विदेशी भाषाओं के विद्यालय तथा चार्ल्स विश्वविद्यालय में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। वहां हिन्दी का पठन-पाठन शास्त्रीय ढंग से होता है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य विद्यार्थियों को गहरी, बहुमुखी एवं व्यापक हिन्दी का ज्ञान प्रदान करना है। संस्कृतनिष्ठ शैली को आधार बनाकर हिन्दी का अध्यापन कराया जाता है। फिर भी इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि हिन्दी के व्यावहारिक रूप से देश के कर्मचारियों, श्रमिकों आदि को वैज्ञानिक ढंग से भाषा सिखाई जाए।

चेकोस्लोवाकिया के हिन्दी-ज्ञाता तथा पाठक स्वयं पाठ्य पुस्तकें तैयार करते हैं। हिन्दी के प्रचारकों में ओताकोर पेर्तोलद, डा० विन्त्सेत्स पोरीज्का के नाम, जो समस्त यूरोप में हिन्दी व्याकरण के विशिष्ट विद्वान माने जाते है, उल्लेखनीय हैं।

यहां अनुवाद का कार्य पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। प्रेमचंद, अमृतराय, बच्चन, अज्ञेय, दिनकर आदि की रचनाएं अनूदित हो चुकी हैं।

जर्मन गणराज्य में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन जोरों पर चल रहा है। बर्लिन, हम्बोल्द, लाइज़िग, कार्लमार्क्स तथा हार्लेक स्थित मार्टिन लूथर किंग विश्वविद्यालय में हिन्दी की शिक्षा प्रदान की जाती है। श्री अन्सारी तथा कु० एरिका जैसे अनेक विद्वान् और उनकी चैक पत्नी दगमार अन्सारी-कु० वेस्त फाल मार्गोत, हेलर्निग भारतीय विज्ञान पढ़ाते हैं।

प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय जैसे अनेक लेखकों की रचनाओं के जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित हुए हैं।

पश्चिम जर्मनी

यहां फ्री यूनिवर्सिटाट, बर्लिन, रिहीन्स, फ्रीडरिख, विल्हेल यूनिवर्सिटाट

आदि 15 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है।

डा० शार्लोत ब्राउजे ने लल्लूजी लाल के 'प्रेमसागर' का अनुवाद प्रकाशित किया था। जर्मन-दूतावास के एक अधिकारी ने "बिहारी सतसई" के कुछ दोहों का अनुवाद किया है। जेनेन्द्र का "त्यागपत्र" नामक उपन्यास तथा प्रमचंद की कुछ कहानियां अनूदित हो चुकी हैं।

डा० एच० जे० बैरमोर तथा डा० आर्येन्द्र शर्मा ने व्याकरण का एक ग्रंथ भी तैयार किया है।

ब्रिटेन के 'लदंन स्कूल आफ ओरिएण्टल एण्ड अफ्रिकन स्टडीज" में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन का कार्य शास्त्रीय ढंग से होता है। लदंन के काउण्टी स्कूल में भी हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। कैम्ब्रिज तथा लंदन विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है। "हिन्दी प्रचार-प्ररिषद" लंदन में हिन्दी के प्रचार में रत है जो "प्रवासिनी" नामक त्रैमासिक पत्रिका निकाल रही है। ब्रिटेन में बी० बी० सी० ने हिन्दी कार्यक्रम के माध्यम से हिन्दी को अधिकाधिक रुचिकर बनाने में उत्तम भूमिका निभाई है।

गिरमिट प्रथा के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा दक्षिण भारत के अनेक भारतीय मजदूर फीजी में पहुंचे और उन्होंने हिंदुस्तानी की सामान्य शैली को विकसित किया। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक रुचि के साथ रामायण मंडलियों, रामलीला तथा नाटकों के माध्यम से हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया और अब वहां पांच साप्ताहिक हिन्दी पत्रिकाएं निकल रही हैं। फीजी में हिन्दी फिल्में अधिक लोकप्रिय हैं। फीजी के रेडियो से महीने में 75 घंटे के हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। स्वतंत्र फीजी के संविधान में हिन्दी (हिन्दुस्तानी) को मान्यता प्राप्त है।

फ्रांस में "इकोल नात्सियोनाल दयु लांग ओरियेन्ताल विवेन्ते" में हिन्दी पढ़ाई जाती है। व्याकरण के सरल पाठ, उच्चतर पाठ्य-पुस्तकें तथा फ्रेंच से हिन्दी तथा हिंदी से फ्रेंच में अनुवाद कराया जाता है। कबीर की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। 'गोदान' एवं 'कामायनी' का अनुवाद हो रहा है।

यूनिवर्सिटी आफ रोम, 'फैकल्टी आफ लेटर्स" इंस्टिट्यूटों दि स्टडी ओरिएन्ताली" आदि में हिन्दी-शिक्षण का प्रबंध है. पाठ्य-पुस्तकें प्रो० तूच्ची की संस्था "इस्मियो" में तैयार की जाती हैं जिसमें व्याकरण, साहित्य खंड आदि होते हैं।

प्राचीन लेखकों की कृतियों के कुछ भाग का तथा प्रेमचंद की कुछ कहानियों का अनुवाद हुआ है।

वारसा विश्वविद्यालय हिन्दी के शिक्षण के लिए अग्रणी संस्था है। अलनेसका कोआलल्का सोनो ने आधुनिक हिन्दी कविता पर शोधकार्य किया है।

संयुक्त राज्य में भाषा-शास्त्र नृशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र में विद्यार्थी सामान्यतः हिन्दी का अध्ययन करते हैं। न्ययार्क विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय आदि 12 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन चल रहा है। "स्पोकन हिन्दुस्तानी" और "बेसिक कोर्स इन हिन्दी" जैसी उपलब्धियों के कारण अधिक प्रसिद्ध है। डा० उदयनारायण तिवारी, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे जैसे हिन्दी के कई विद्वान यहां अध्यापन कर चुके हैं।

बर्मा में हिन्दी का प्रसार कार्य बर्मा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वारा सन् 1923 से हो रहा है। 1921 में गांधी महाविद्यालय की स्थापना हुई।

यहां दैनिक हिन्दी "प्राची प्रकाश" एवं एक मासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। बर्मा के प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यसेवी श्री उपारूग ने संस्कृत एवं हिन्दी के लगभग 18 ग्रंथों का अनुवाद बर्मा में किया है। "सत्यार्थ प्रकाश" तथा राहुल और प्रेमचंद की कुछ रचनएं बर्मी में अनूदित हो चुकी हैं।

मारीशस में अनेक बर्षों से हिन्दी साहित्य का विधिवत सृजन ही नहीं अपितु देश भर में हिन्दी का व्यावहारिक प्रयोग चालू है। यहां तुलसी के "रामचरित मानस" का बड़ा प्रचार है। मारीशस में सन् 1909 में "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" के प्रकाशन के साथ हिन्दी के प्रचार ने जोर पकड़। इस देश में 300 प्राथमिक शालाओं में हिन्दी का अध्यापन, माध्यमिक कक्षाओं में हिन्दी को प्रमुखता तथा एक बड़े पैमाने पर पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का कार्य हिन्दी के प्रति जागरूकता का साक्षी है। "साप्ताहिक जनता" तथा एक पाक्षिक "जमाना" जैसी 6 हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। "हिन्दी प्रचारिणी सभा" हिन्दी का प्रचार कर रही है।

तोकियो यूनिवर्सिटी आफ फोरेन स्टडीज, ओसाका युनिवर्सिटी आफ फोरेन स्टडीज आदि 5 विश्वविद्यालयों में हिन्दी-शिक्षण का प्रबंध है। प्रेमचंद के 'गोदान' तथा कहानियों के अनुवाद एवं 'पद्मावत' पर लिखा शोध-प्रबंध प्रकाशित हो चुके है।

श्रीलंका के विद्यालकार तथा विद्योदय विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था है। श्रीलंका के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्यापन तथा अध्ययन के लिए पृथक विभाग खोला गया है। हिन्दी प्रसार सभा, कोलम्बो भी हिन्दी प्रचार का कार्य कर रही है।

कतिपय अन्य विश्वविद्यालय और संस्थाएं अपनी हिन्दी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैः—

(1) आर्य प्रचार सभा, गाईना (दक्षिण अमेरिका)

(2) अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल, काबुल (अफगानिस्तान)

(3) उपरेस्ट विश्वविद्यालय उपरेस्ट (नीदरलैंड्स)

(4) पीकिंग विश्वविद्यालय, पीकिंग (चीन)

(5) बुडापेस्ड विश्वविद्यालय, डापेस्ट (हंगरी)

(6) तेहरान विश्वविद्यालय (तेहरान)

(7) यूनिवर्सिटी आफ क्वीन्सलैंड (आस्ट्रेलिया)

(8) ब्रुसेल्स विश्वविद्यालय ब्रुसेल्स, (बेल्जियम)

इनके अलावा, संसार भर में अनेक संस्थाओं के चतुर्मुखी कार्यक्रमों ने हिन्दी अध्ययन में गति ला दी है।

निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो यह कहना समुचित प्रतीत होता है कि विकासशील देशों की भाषाओं में हिन्दी अब पर्याप्त रूप से विकसित स्थिति में आ चुकी है। विश्वभर में हिन्दी का प्रसार और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। रूस के 8, पश्चिमी जर्मनी के 17, अमरीका के 38 तथा ब्रिटेन, बेल्जियम, रूमानिया, स्वीडन और अन्य लगभग 35 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। त्रिनिदाद और टीवागो की 27 संस्थाओं में स्नातक स्तर तक हिन्दी पढ़ाने का प्रबंध है। सूरीनाम की 143 संस्थाओं में माध्यमिक स्तर तक हिन्दी पढ़ाई जाती है। इस प्रकार विदेशों में हिन्दी का प्रसार-उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अनेक देशों में हिन्दी पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रति वर्ष पर्याप्त सेवा में चुनी हुई पुस्तकें भेजी जा रही हैं।

हिन्दी के सर्वव्यापी प्रभाव को द्विगुणित करने के लिए यह आवश्यक है कि देश-विदेश में हिन्दी को प्रमुखता दी जाए। वरेण्य साहित्य के अनुवाद के पारस्परिक आदान-प्रदान, उद्भट विद्वानों की साहित्यिक विश्व यात्राएं, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की संस्थाओं के संगठन, विश्व के सभी पुस्तकालयों में हिन्दी की श्रेष्ठ पुस्तकों कथा पत्र-पत्रिकाओं का संकलन और विदेशी भाषाओं के माध्यम से हिन्दी शिक्षण की मार्गदर्शी पुस्तकों के जैसे अनेक कार्य हैं जिनकी सहायता से हिन्दी को सार्वभौम रूप से विश्व की भाषाओं में स्थान दिलाना है। ●

हमारी शिक्षा कैसी हो ?......

(पृष्ठ 4 का शेष)

लिखने में शिक्षा के बाद कैसा परिवर्तन होता है ? टाइपिस्ट की टाइपगति व शुद्धता में कैसा परिवर्तन आता है ? मोटर मैकेनिक मरम्मत के कार्य में क्या पहले से अच्छा काम कर रहा है ? इस प्रकार का मूल्यांकन प्रति सप्ताह या प्रत्येक निश्चित व्यावहारिक कार्य की पूर्ति पर हो तथा वर्ष के अन्त में इस प्रकार के प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन हो। परीक्षा न हो।

इस प्रकार मूल्यांकन में यह दोष अवश्य है कि मूल्यांकन-कर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव पड़ सकता है पर लाभ यह है कि विद्यार्थी को निरन्तर सुधार का अवसर मिलता रहता है।

इस प्रकार शिक्षा अपने नए रूप में आमूल परिवर्तन के साथ आएगी। इन्टर, बी. ए., एम. ए., एम. एस. सी. कुछ न होगा। व्यवसाय का अपना पाठ्यक्रम होगा, चाहे वह क्लर्की हो या पोस्टमास्टरी या स्टेशन मास्टरी। एक शिक्षा संस्थान में कई व्यवसाय के विषय होंगे। प्रवेश उन्हीं को मिलेगा, जो योग्य होंगें। अयोग्य होने पर वर्ष भर बाद ही विषय बदलना होगा। विषय केवल साहित्यिक न होकर व्यावसायिक होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को उसी व्यवसाव की प्रारम्भिक शिक्षा भी लेनी होगी तथा व्यावहारिक रूप से अपने योग्य सिद्ध करने पर ही अगले वर्ष शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी तथा नौकरी पाने के लिए स्वयं को योग्य सिद्ध करना होगा।

प्रधानाचार्य
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, आसफपुर
बदायूं (उ० प्र०)

★

बढ़ रहा कारवां उत्तर प्रदेश का

डा० रामकृष्ण कौशिक

गत वर्ष पूरे देश के लिए उपलब्धि का वर्ष रहा है। अतः विभिन्न प्रदेशों के लिए भी इस वर्ष को प्रगति एवं विकास का समय कहना समीचीन होगा। उत्तर प्रदेश को एक पिछड़ा प्रदेश कहा जाता रहा है किन्तु अब विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

आपात स्थिति के गत एक वर्ष को कमजोर वर्गों के वर्ष की संज्ञा देना अत्युक्ति न होगी। वस्तुतः हरिजन तथा कमजोर वर्ग के लोगों को भूमि का मालिक बनाया गया। ऐसे लोगों की संख्या अठारह लाख से अधिक है। लगभग बारह लाख आवास स्थल भी इन लोगों को आवंटित किए गए। मकान बनाने के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था की गई। तकनीकी ज्ञान वाले उद्यमियों को लघु स्तरीय उद्योग शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराया गया। भूमिहीन श्रमिकों, लघु तथा सीमान्त कृषकों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए छः ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। बैंक मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, रायबरेली, बाराबंकी तथा फरुखाबाद जिलों में कमजोर वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान कर उनके आर्थिक उत्थान में सहयोग दे रहे हैं।

बन्धुआ मजदूरी तथा ऋण से मुक्ति कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए सर्वाधिक प्रगतिशील कदम जो राज्य सरकार ने उठाया है, वह प्रशंसनीय है। राज्य सरकार ने बन्धुआ मजदूरी को गैर-कानूनी घोषित किया तथा कमजोर वर्गों को ऋण से मुक्ति दिलाई है। कई शताब्दियों की दासता से मुक्ति का यह कार्य प्रदेश सरकार के क्रान्तिकारी कदमों का परिचायक है।

निर्धन वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रबन्ध किया गया है। प्रधानमन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम की यह महत्वपूर्ण कड़ी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को इस प्रकार का न्याय सुलभ कराया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य-मन्त्री की अध्यक्षता में वकीलों के राष्ट्रीय फोरम का गठन किया गया है। जिला-स्तर पर भी वकीलों के पैनल की व्यवस्था की गई है। इनके पारिश्रमिक का भुगतान शासन करेगा। चालू वित्तीय वर्ष में निर्धनों को कानूनी सहायता देने हेतु पांच लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

आपातकाल की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में अनिर्णीत मामलों के शीघ्र निपटारे की व्यवस्था भी बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का अंग है। सिर्फ मजिस्ट्रेटों की संख्या में वृद्धि की गई है, 150 नए न्यायालय, 50 नए सेशन न्यायालय तथा जुडीशियल मजिस्ट्रेटों के 150 न्यायालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक तहसील को न्याय पाने का मुख्य स्थान बनाया गया है। जिला कार्यालय केवल अपील सुनने का कार्य करेंगे।

मूल्यों में स्थिरता

राज्य सरकार की कारगर कार्यवाही से वस्तुओं के मूल्यों में दस से चालीस प्रतिशत तक की गिरावट आई है। मूल्य सूची का दुकानों में टांगना अनिवार्य कर दिया गया है। पांच महानगरों में खाद्य सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। तहसील स्तर पर परगनाधीशों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है। मूल्य वृद्धि करने वाले अपराधियों को दण्डित किया गया है, 2000 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए, लगभग 2 लाख फर्जी राशन कार्डों तथा लगभग 12 लाख फर्जी यूनिटों को रद्द किया गया।

बढ़िया फसल होने के कारण शासन को 12·02 लाख टन पूर्व लक्ष्य की अपेक्षा 15 लाख टन गेहूं के संशोधित लक्ष्य को प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के 21 बड़े नगरों में डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के 729 छात्रावासों को थोक मूल्य पर गल्ला तथा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार आर्थिक अनुशासन प्राप्ति में भी सफलता मिली।

चिकित्सा सुविधाएं

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों, औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कार्य करना आवश्यक है। राज्य में इस समय 2650 एलोपैथिक, 1006 आयुर्वेदिक तथा 168 होम्योपैथिक चिकित्सालय है जिनमें लगभग 3800 शय्याओं की व्यवस्था है। चेचक का उन्मूलन कर दिया गया है। मलेरिया पर पुनः काबू पाया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में राज्य सरकार अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों को इस कार्य में योग देने के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। योग न देने वाले कर्मचारी दण्डित भी किए जा रहे है। अप्रैल, 1976 के बाद नसबन्दी कराने वाले कृषकों को आगामी तीन वर्षों तक राजस्व में 50 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। नगर पालिकाओं, जिलापरिषदों तथा विकास खण्डों, ग्राम पंचायतों से भी इस कार्य से पूरी-पूरी मदद की जा रही है।

शहरी भूमि का समाजीकरण

समाजवादी को कार्यरूप देने हेतु उ० प्र० शासन ने नगर भूमि अधिनियम 1976 लागू किया। प्रदेश के नगरों को ए० बी० सी० डी०—चार श्रेणियों में विभाजित किया गया। इन नगरों में क्रमशः 500, 1000, 1500, 2000 वर्ग-मीटर भूमि एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है। सीमा से अतिरिक्त भूमि के लिए नकद भुगतान तथा 20 वर्षों में भुनाए जाने वाले बाण्डों के

द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस कानून से राज्य तथा केन्द्र सरकार, बैंक, दातव्य तथा धर्मार्थ न्यास, आवास सहकारी समितियां (पंजीकृत) मुक्त रखी गई हैं अब कोई व्यक्ति खाली भूमि को सक्षम अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना हस्तांतरित न कर सकेगा। समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों को मकान बनाने के लिए इस प्रकार की भूमि का आधा भाग निर्धारित किया गया है।

कृषि क्रांति

खाद्य समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में उपयुक्त संसाधनों की व्यवस्था का प्रयत्न किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 गोबर गैस संयन्त्र लगाए गए हैं। चूहा-विनाश कार्यक्रम राज्य भर में चलाया गया है। अनाज भण्डारण के लिए 19600 बखारिया कृषकों को उपलब्ध कराई गई। फसल-प्रतियोगिताओं का आयोजन करके अधिक उत्पादन करने वाले कृषकों सामुदायिक नर्सरी का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आलू की फसल के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कोल्ड स्टोरेज अधिनियम का कठोरता से पालन कराया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में आलू भण्डारण की विशेष व्यवस्था की गई है। राज्य-सरकार प्रत्येक जिले में कृषि सेवा केन्द्र स्थापित कर रही है। ट्रैक्टरों का मूल्य कम करने का प्रयत्न जारी है।

पन्तनगर में सोयाबीन प्लाण्ट लगाया गया है। श्वेतक्रान्ति को क्रियात्मक रूप देने हेतु दूध, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ अण्डों, ऊन आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए ग्रामीण कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर उन्नत नस्ल के सांडों द्वारा पशु-गर्भाधान की निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। गोधन-विकास निगम ने इस संदर्भ में अनेक योजनाएं बनाई हैं।

सिंचाई कृषि व्यवस्था का मूलआधार है। शारदा सहायक रामगंगा, गण्डक आदि बड़ी योजनाओं के अधीन कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाई गई है। अब तक लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई-सुविधा उपलब्ध हुई है। रामगंगा जलाशय से 3.32 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। टहरी बांध, लखबार बांध, मध्य गंगानहर बैराज आदि का शुभारम्भ किया जा रहा है। लगभग 5000 किलोमीटर गूलों का सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराया गया है। 450 नलकूपों में पम्प सेट लगाए गए हैं। 1020 नए नलकूपों को विद्युतचालित बनाया जा रहा है।

उद्योग विकास

कृषि क्रान्ति के साथ-साथ औद्योगिक क्रान्ति पर भी राज्य सरकार ने पूरा-पूरा ध्यान दिया है। औद्योगिक विकास निगम 4000 एकड़ नई भूमि पर औद्योगिक संस्थानों के लिए आधार भूत ढांचे खड़े कर रहा है। दिल्ली के निकट ओखला में 10 करोड़ के लागत की 'नोएडा योजना' आरम्भ की गई है। लघु उद्योगों, करघा उद्योगों, भारी उद्योगों, चीनी वस्त्र उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार ने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। बैंकों से ऋण की व्यवस्था भी की गई है।

शिक्षा नई रोशनी का नाम

स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों के लिए यह वर्ष महान उपलब्धि का समय रहा है। हड़तालें, अनुशासनहीनता बीते कल की बात हो गई है। बालकों के लिए पुस्तक बैंक की अनिवार्यतः स्थापना की गई है। कमजोर तथा निर्धन वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त करने की योजना इन्हीं बुक बैंकों के माध्यम से पूर्ण हुई है। पाठ्यक्रमों तथा अभ्यास पुस्तिकाएं नियंत्रित दरों पर छात्रों को उपलब्ध कराई गई है। आगामी वर्ष के लिए बुक बैंकों के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छात्रावासों के लिए सरकारी दर पर आवश्यक वस्तुएं देने की व्यवस्था की गई है अधिक शुल्क वसूली पर रोक लगा दी गई है। डिग्री कालेज शिक्षकों के नए वेतनमान जनवरी, 1973 से लागू किए गए हैं तथा उनके वेतन के भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार ने ले लिया है।

युवा कार्यक्रमों में खेलों तथा स्काउटिंग को प्राथमिकता दी गई है। होनहार खिलाड़ियों के लिए छात्र वृत्ति का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीयसेवा योजना लागू करके प्रदेश के विभिन्न भागों में श्रमदान आदि से निर्माण का प्रबन्ध किया गया है। तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी विद्यालयों का विकास किया गया है। ग्रामीण तकनीकी सेवा केन्द्रों की पहली बार स्थापना की गई है। पर्वतीय जिलों में हर प्रकार के विद्यालय खोलकर उनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया गया है। शिक्षकों को विशेष पुरस्कार देने तथा सामूहिक बीमा आदि की सुविधाएं दी गई हैं। प्रबन्ध समितियों पर राज्य नियन्त्रण बैठाया गया है।

सड़कों, पुलों के निर्माण, वन सम्पदा में वृद्धि, पर्यटन का विकास-प्रायः हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। वस्तुतः 1975-76 प्रदेश के लिए महान उपलब्धियों का वर्ष रहा है। भविष्य में उत्तरोत्तर उन्नति की पूर्णा आशा है क्योंकि :—

इस पथ का उद्देश्य नहीं है।
श्रांत भवन में टिक रहा
किन्तु पहुंचना उस सीमा पर
जिसके आगे राह नहीं है।

—अध्यक्ष, हिंदी विभाग
लाजपतराय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
साहिबाबाद

पं० दयानन्द : (प्रसन्न होकर) बहुत अच्छा, दीनानाथ । यदि तुम्हारी तरह समाज के सारे लोग दूरदृष्टि से काम लें, तो समाज का रूप बदल जाए। मैं तुम्हारे-इस निर्णय से बहुत खुश हूं।

दीनानाथ : सब भगवान की दया ए पण्डित जी । हम का लायक हैं ? (कुछ रुक कर चिठ्ठी में और कछू तो नाएं लिखो ?

पं० दयानन्द : बस, यही लिखा है ।

दीनानाथ : (उत्साहित होकर) तो महाराज । अब बिलम्ब के काज ? आप तौ मेरी ओर से जल्दी जवाब भेज देते ।

पं० दयानन्द : अच्छा-अच्छा, घर चल कर जवाब लिख देते हैं । (सहसा गम्भीर होकर) हां, एक बात और, ऐसे कब तक औरों से पत्र पढ़वाते और लिखवाते रहोगे ? लिखने-पढ़ने के और भी बहुत से मौके आ पड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था, यदि पक्का इरादा कर लो, तो थोड़ा-थोड़ा करके अब भी लिखना-पढ़ना सीखा जा सकता है ।

दीनानाथ : अच्छा महाराज ! आपकी जेउ बात मानी ।

पं० दयानन्द : हां-हां, दीनानाथ । तब याद करोगे जब सरपटभर पत्र पढ़ डाला करोगे । पता है ,तुम्हारे पड़ौसी रामसिंह ने पन्द्रह दिन में ही पूरी बारहखड़ी सीख ली । अब तो वह सरल-सरल शब्द लिखने और पढ़ने भी लगा है । तुम उससे भी जल्दी सीख जाओगे । देखो, हमारे स्कूल के सातवीं-आठवीं क्लास के हर विद्यार्थी ने यह पक्का इरादा कर लिया है कि वह कम से कम एक आदमी को तो साक्षर बनाकर ही चैन लेगा।

दीनानाथ : बाह महाराज। तौ आज हमनेऊ पक्कौ इरादौ कल्लयौ । आप निश्चिन्त रहौ ।

पं० दयानन्द : अच्छी बात है। अपना काम-काज निपटा कर आज शाम से ही स्कूल में पहुंचना शुरू कर दो। शाम के समय हम लोग यही काम करते हैं। (कुछ सोच कर) और देखो, पत्र का उत्तर भी शाम को ही लिख देंगे । अब तो काफी समय हो गया है । अच्छा तो चलूं ?'

दीनानाथ : अच्छी बात है पण्डित जी । नमस्कार। (हाथ जोड़ता है)

पं० दयानन्द : (हाथ जोड़कर) नमस्ते ।

(दोनों खड़े होते हैं । पर्दा गिरता हैं ।)

शासकीय महाविद्यालय,
मुरार, ग्वालियर-6 (म० प्र०)

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे;

(ख) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ;

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अर्न्तगत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(फ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

शंकर घोष

हमारा लक्ष्य सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ना है। सामाजिक न्याय का अर्थ है—केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं, बल्कि क्षेत्रों के बीच भी सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त किया जाए। कोई भी देश जो आधा विकसित है और आधा पिछड़ा हुआ है, उन्नति नहीं कर सकता। वास्तव में क्षेत्रीय समानता किसी भी सभ्यता के अन्तर्भूत मूल्य का सूचक है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का पिछड़ापन कोई स्वाभाविक बात नहीं है। इस प्रदेश में अनेक प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं और यहां मानव दक्षता और उत्साह का कभी न खत्म होने वाला खजाना विद्यमान है। इस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन औपनिवेशिक शासकों की नीतियों की देन है। उन शासकों ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के उचित और सन्तुलित विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के और अधिक तेज गति से सन्तुलित आर्थिक विकास की दृष्टि से संसद के अधिनियम के अन्तर्गत 1971 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई।

पूर्वोत्तर परिषद को सम्मिलित और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाने, परियोजनाओं की प्राथमिकताओं को निश्चित करने, उनके स्थान का निर्धारण करने और साधनों के आबंटन की सिफारिश करने जैसे आवश्यक कार्य करने होते हैं। तैयार किए गए कार्यक्रमों को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने और इसके लिए समन्वित प्रयास करने तथा परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल का काम आरम्भ करने की सिफारिश करने का उत्तरदायित्व भी कुल मिलाकर परिषद का ही होता है। एक से अधिक राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश से सम्बन्धित और उन्हें लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं ही पूर्वोत्तर परिषद की क्षेत्रीय योजना के कार्यक्षेत्र में आती हैं।

पांचवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 90 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारें भी इस क्षेत्र में अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने के प्रयास कर रही हैं।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विकास-कार्य प्रारम्भ किए गए।

असम में, जिसका भौगोलिक प्रदेश लगभग एक करोड़ हैक्टर है, 1951 से पहले किसी प्रकार की सिंचाई-व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद से चौथी योजना के अन्त तक असम राज्य में छह मझौली सिंचाई-योजनाओं को पूरा करने का काम हाथ में लिया गया। चौथी योजना की अवधि के समाप्त होने तक इनमें से पतरादीक्षा और हरगुटी नामक दो परियोजनाएं पूरी तरह और जमुना परियोजना काफी सीमा तक पूरी हो चुकी थीं। पांचवी योजना के दौरान 83 हजार हैक्टर भूमि पर सिंचाई के लिए 15 करोड़ 83 लाख रु० की अनुमानित लागत से ढांसीरी नामक बड़ी सिंचाई परियोजना आरम्भ की गई। इसके अलावा मैदानी इलाकों में छः मझौली और पहाड़ी इलाकों में तीन योजनाओं का काम आरम्भ किया जा चुका है। असम राज्य के लिए पांचवीं योजना में बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 29 करोड़ रु० और लघु सिंचाई के लिए 28 करोड़ 41 लाख रु० निर्धारित किए गए हैं।

मणिपुर राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 22 लाख 40 हजार हेक्टर है।

इस राज्य में कोई बड़ी या मझौली सिंचाई-योजना नहीं चलाई गई थी। पांचवीं योजना के दौरान सिहंदा बांध परियोजना नामक एक बहूद्देशीय परियोजना और तीन मझौली परियोजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं। पांचवीं योजना के दौरान लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से और 16,000 हैक्टर में सिंचाई करने का लक्ष्य है और इसके लिए 2 करोड़ 89 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है।

मेघालय का कुल क्षेत्र 22 लाख 50 हजार हैक्टर है। चौथी योजना के अन्त तक मेघालय में कोई मझौली सिंचाई योजना आरम्भ नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने पांचवीं योजना में दो मझौली सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव रखा है और इन योजनाओं के बारे में प्रारम्भिक जांच का काम चालू है। अभी परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी है। चौथी योजना के अन्त तक मेघालय में लघु सिंचाई योजनाओं की 10 हजार हैक्टर की सिंचाई-क्षमता थी। पांचवीं योजना के अन्त तक यह क्षमता बढ़कर 25 हजार हैक्टर हो जाने की आशा है।

नागालैंड का कुल क्षेत्र 16 लाख 50 हजार हैक्टर है। चौथी योजना के अन्त तक लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 33 हजार हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई की जाती थी। पांचवीं योजना के अन्त तक 46,000 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई किए जाने की आशा है।

अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र 84 लाख हैक्टर है। चौथी योजना के अन्त तक

लघु सिंचाई द्वारा 4400 हैक्टर क्षेत्र मे सिंचाई की जा रही थी। पांचवीं योजना में लघु सिंचाई द्वारा 9400 हैक्टर क्षेत्र सिंचित किया जा सकेगा ।

मिजोरम में 68,000 हक्टर क्षेत्र में खेती की जाती है। चौथी योजना के अन्त तक लघु सिंचाई द्वारा 3000 हैक्टर क्षेत्र को सींचा जाता था। पांचवीं योजना में इस प्रकार की सिंचाई के लिए 96 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है।

पांचवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद की क्षेत्रीय योजना में कोयिली पनबिजली परियोजना को शामिल किया गया है। इसके लिए 40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना से लगभग 5400 लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होने की आशा है।

इस क्षेत्र के लिए बराक नदी पर तैयार की जाने वाली तपेईमुख ऊंचा बांध नामक बहुद्देशीय परियोजना शामिल की गई है। मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य बिजली उत्पादन और बाढ़-नियन्त्रण का है, लेकिन पूरा हो जाने पर इसके आस-पास के क्षेत्रों की सिंचाई भी हो सकेगी।

इस क्षेत्र के हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाई गई है। ऐरी रेशम और मुगा रेशम से बनने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। हथकरघा क्षेत्र की वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिए गोहाटी में एक क्षेत्रीय हथकरघा अनुसन्धान और डिजाइनिंग केन्द्र खोला जा रहा है। इस केन्द्र का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशमी वस्त्र तैयार करने की तकनीकों में सुधार लाना है। हथकरघा बुनकरों को अपने कार्यकौशल में वृद्धि लाने तथा इस क्षेत्र में वस्त्र प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के उद्देश्य से गोहाटी स्थित असम वस्त्र संस्थान का विस्तार किया जा रहा है।

माओ (मणिपुर) में एक क्षेत्रीय आलू-बीज फार्म खोला गया है। आलू के बीज के कुछ अन्य संस्थान भी खोले जा रहे हैं। अनेक क्षेत्रीय फलवाड़ियां भी खोली जा रही हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती पर नियन्त्रण करने और जलविभाजक के संरक्षण के लिए आठ योजनाएं तैयार की गई हैं। मिजोरम को छोड़ कर (वहां ऐसी दो योजनाएं पहले ही चालू हैं) पूर्वोत्तर परिषद की प्रत्येक यूनिट में भू-संरक्षण योजना लागू की गई है। केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल बड़े पैमाने पर जमीन के नीचे मिलने वाले पानी का सर्वेक्षण कर रहा है।

विभिन्न पशुओं की नस्लों में सुधार लाने और पशु चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद की योजना में 14 योजनाएं शामिल की गई हैं। त्रिपुरा में एक क्षेत्रीय मछली प्रजनन फार्म खोला गया है। पूर्वोत्तर पर्वतीय मात्स्यिकी विश्वविद्यालय ने सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की एक योजना बनाई है।

इस क्षेत्र में भूमि-सुधार कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए उपाय किए गए हैं। भू-स्वामित्व के अधिकारों का रिकार्ड तैयार करने के लिए भू-कर सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखा गया है। व्यक्तिगत जोत के लिए भूमि सीमा 75 बीघे से घटाकर 50 बीघा करने और फलोद्यानों के लिए छूट सीमा को घटाने के लिए असम में भूमि-सीमा अधिनियम फिर संशोधित किया जा रहा है। फालतू भूमि को बांटने का काम जारी है और इस दिशा में काफी प्रगति हो रही है। जोत-सीमा 20 एकड़ से घटाकर साढ़े बारह एकड़ करने के लिए मणिपुर भूमि-सुधार और भू-राजस्व अधिनियम, 1960 में संशोधन किया गया है।

प्राथमिक आवास सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक सहायता दी जा रही है। इन सहकारी समितियों का गठन ग्रामीण जनता के कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए किया गया है। असम में भूमिहीन परिवारों की संख्या 22 900 है। इनमें से अधिकांश ने ऐसी भूमि पर मकान बनाए हुए हैं जो उन्हें एक काश्तकार के रूप में मिली हुई है। असम काश्तकारी अधिनियम, 1971 में यह प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति की राशि जमा करवा देने पर काश्तकार भू-स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। कई अन्य चीजों के साथ-साथ राज्य सरकार ने 56,951 परिवारों को वास-भूमि प्रदान की है। इसमें से 9366 परिवार अनुसूचित जातियों और 3797 अनुसूचित जातियों के हैं।

मकान बनाने के लिए मणिपुर में 85 आदिवासी और 42 अनुसूचित जातियों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। कम आय वाले वर्ग के लिए आवास योजना को भी लागू किया जा रहा है।

त्रिपुरा सरकार ने 42,293 भूमिहीन कृषि-मजदूरों में लगभग 42,480 हैक्टर भूमि बांटी है। इस काम में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों की केवल 91 शाखाएं खुली हुई थीं। असम को छोड़ कर बाकी क्षेत्रों में बैंकों की केवल 17 शाखाएं थीं। वास्तव में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बैंक की एक भी शाखा नहीं थी। इस क्षेत्र में 1,89,000 जनसंख्या के पीछे एक बैंक था।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के पश्चात् इस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का काफी विस्तार किया गया है। मार्च, 1976 के अन्त तक इस क्षेत्र में 346 बैंक-शाखाएं थीं। अब इस क्षेत्र में कोई राज्य या केन्द्र-शासित प्रदेश ऐसा नहीं है, जहां बैंक की सुविधा उपलब्ध न हो। परिणामस्वरूप, जनता को बैंकों की सुविधाएं अधिक मिलने लगी हैं। मार्च, 1976 के अन्त में प्रति 57,000 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक था।

इस क्षेत्र में अधिक शाखाएं खोलते समय बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

सुविधाएं उपलब्ध कराने का विशेष ध्यान रखा है। इस क्षेत्र के कुल बैंकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में 19 जुलाई, 1969 को जहां केवल 28·6 प्रतिशत शाखाएं थीं, वहां मार्च, 1976 के अन्त तक बढ़कर यह 46·5 प्रतिशत तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक-शाखाओं की संख्या 26 से बढ़कर 161 हो गई।

इन सब प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ऋण देने के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जिनमें मुख्यतया छोटे किसान, लघु उद्योग और अपना कारोबार करने वाले शामिल हैं, अधिक मात्रा में ऋण दिए जाने लगे। 1975 के अन्त तक लगभग 54,000 ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को 21 करोड़ 80 लाख रु० के ऋण दिए जा चुके थे, जबकि 1969 में केवल 482 व्यक्तियों को 2 करोड़ 30 लाख रु० के ऐसे ऋण दिए गए थे।

पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ सीमा तक विभिन्न शर्तों पर ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाएं भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर 1975 के अन्त तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम कुल मिलाकर असम को 42 करोड़ रु०, मेघालय को 6 करोड़ रु० और नागालैंड को 1·3 करोड़ रु० के ऋण दे चुके थे। इस दिशा में बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं और उनमें तेजी लाई जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पदा—वन, बिजली और खनिज भण्डार—का उपयोग करने तथा यहां की जनता के कल्याण के लिए सिंचाई और कृषि के विकास के लिए ठोस व दृढ़ प्रयत्न किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक क्षेत्रों को रेलों व सड़कों से जोड़ा जा रहा है, बाढ़-नियन्त्रण के लिए उग्र नदियों को काबू में किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ समाज कल्याण की सुविधाओं का प्रसार कर उसमें तेजी लाई जा रही है।

केवल सरकारी प्रयत्नों से ही आर्थिक विकास का काम पूरा नहीं किया जा सकता। जनता के सहयोग के बिना किसी भी योजना को कार्यरूप नहीं दिया जा सकता। जनता की आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं ही एक योजना में परिलक्षित होती हैं, जनता का कल्याण ही योजना की सफलता की अन्तिम कसौटी है। एक योजना को कार्यरूप देने से अनेक आर्थिक परिवर्तन होते हैं और इस प्रक्रिया में जनता के रुझान में भी एक परिवर्तन आता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति एक नई अर्थ-व्यवस्था और एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में अपना सहयोग देता है। योजना का आशय केवल कुछ फार्मूलों और तकनीकों से ही नहीं है, बल्कि यह तो एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने भविष्य को एक नया रूप देता है। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता समग्र योजना प्रक्रिया में अपना अधिक से अधिक योगदान दे रही है। ★

हमारी सात पीढ़ियां इन्दिराजी की जय बोलेंगी

ऊपर आकाश की ओर उठा हुआ बांकिया बज उठा और ढोल के धमाके के साथ मेहमानों के तिलक किया गया, उन्हें पुष्पहारों से सम्मानित किया गया। अजमेर से थोड़ी दूर 22 सितम्बर को रानीडांग में दुधारू भैंसों और उनके पाडे-पाडियों की लाइन लगी हुई थी। पशुपालक जो पहले मेहनत मजदूरी करके पेट भरते थे अब गोधन के स्वामी हैं। श्रीनगर पंचायत समिति के प्रधान श्री धर्मवीर सहित जब ग्रामीण लोग तीन रूसी पत्रकारों का स्वागत कर चुके तो उन पत्रकारों ने पशुपालकों से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किए। उन्हें बताया कि 55 पशुपालकों को पिछले महीने ही एक सौ दस मुर्रा भैंसें खरीद कर दी गई हैं जिनसे वे प्रतिदिन प्रति परिवार दूध बेचकर 15 रु० कमा लेते हैं। पांच रु० भैंस के खिलाने के पश्चात् उन्हें 10 रु० रोज की आय बच रहती है। यदि वे मेहनत मजदूरी करते तो उन्हें प्रति व्यक्ति 5 रु० ही मजदूरी मिलती।

'इजवेस्तिया' के दक्षिण एशिया कार्यालय के प्रमुख इगर इन केविलव, 'तास' के संवाददाता शेरगे अल्वाजोब और भारत एवं दक्षिण एशिया के लिए 'प्रावदा' के संवाददाता वेनिएमिन एशुरिगिन इन पशुपालकों की खुशहाली देखकर प्रसन्न हुए। पशुपालकों ने उन्हें बताया कि बैंक आफ बड़ोदा से भूमिहीन किसान विकास अभिकरण के मार्फत उन्हें भैंसें खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 2,000 रु० प्राप्त हुए हैं जिनमें दो तिहाई ऋण तथा एक तिहाई अनुदान के रूप में मिले हैं।

रानीडांग के पश्चात नीसर में पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालय में बुक बैंक का निरीक्षण करने पर रूसी पत्रकारों को विदित हुआ कि बुक बैंक में 700 पुस्तकें हैं और सब की सब बालकों की पाठ्य पुस्तकें हैं, जो निर्धन बालकों को विद्यालय की ओर से पढ़ने के लिए दी गई हैं। इस सुविधा के फलस्वरूप छात्रों की संख्या 80 से बढ़कर 135 हो गई है। नीसर से प्रस्थान करने के पश्चात पोसांगन पंचायत समिति के तिलोरा गांव में ऊंटों और ऊंट गाड़ियों

के नए मालिकों ने विदेशी मेहमानों का हार्दिक स्वागत किया। उन्हें भी हाल परबतसर के मेले से ऊंट और ऊंट गाड़ियां आदि खरीदकर दी गई हैं। प्रत्येक ऊंट के लिए 1800 रु० और गाड़ी के लिए 1200 रु० दिया गया है। जिस में से 2000 रु० यूनियन बैंक की ओर से ऋण तथा 1000 रु० भूमिहीन किसान विकास अभिकरण द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए गए हैं।

खुद की ऊंट गाड़ियां

अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने पत्रकारों को भूमिहीन तथा सीमान्त कृषकों के कल्याण कार्यों की विशद जानकारी दी। लगभग 20 व्यक्ति इस सुविधा से अब तक लाभान्वित हुए हैं। ये कल के भूमिहीन किसान अब अपनी स्वयं की ऊंट गाड़ियों के स्वामी हैं और माल ढोकर प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 20 रु० कमा लेता है। उनकी खुशहाली से प्रसन्न होकर मेहमानों ने ऊंटों की सवारी का मजा लिया।

पोसांगन पंचायत समिति अजमेर जिले में गुलाबों की खेती, साग-सब्जी की पैदावार और अमरूदों के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। गनेड़ा में अजमेर शहर के लिए जलप्रदाय योजना, महिला मण्डल की गतिविधियां और अमरूद के सघन बगीचों से प्रभावित होकर रूसी पत्रकार दल कोटडा पहुंचा जहां 17 बनजारा परिवारों को गृह उद्योग के लिए आठ-आठ सौ० रु० ऋण दिया गया है। अहमदाबाद, रतलाम और इन्दौर आदि स्थानों से ये शीशम की लकड़ी मंगाकर उसकी सुन्दर-सुन्दर कंघियां बनाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पसन्द की जाती है।

हम सुखी हैं

बैंक आफ बड़ौदा की अजमेर शहर शाखा की ओर से शहर के कमजोर तबके के 3200 लोगों को 22 लाख रु० के ऋण दिए गए हैं। इनमे बढ़ई का काम करने वाले, जूतियां और टोपियां बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, मुड्डे बनाने वाले गाड़ियालुहार आदि सम्मिलित हैं। रूसी पत्रकारों ने बैंक आफ बड़ौदा की अजमेर शहर शाखा के कार्यालय में इन दस्तकारों से मुलाकात की और केसरगंज में उन्होंने गाड़िया लुहार परिवारों की धोंकनी चलाते और लोहे की चीजें बनाते हुए देखा। 40 वर्षीय लुहारिन राधा से साक्षात्कार करते हुए उन्होंने पूछा कि उन्हें बीस सूत्री कार्यक्रम से क्या फायदा हुआ तो राधा ने गद्‌गद होकर कहा 'हम पहले एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे किन्तु भला हो सरकार का कि हमें एक जगह ठहराया, 300 रु० ऋण दिया। अब हमारा धन्धा अच्छा चल रहा है। हम सुखी हैं। हम ही नहीं हमारी सात पीढ़ियां इन्दिरा की जय बोलेंगी।'

पत्रकार दल मुड्डे बनाने वालों से उनके वर्कशाप पर ही मिला। रामदयाल तो स्वयं केवल हस्ताक्षर ही कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है किन्तु उसके पुत्र अब कालेजों में पढ़ रहे हैं। बैंक आफ बड़ौदा से उसे 5,000 रु० ऋण मिला है जिससे उसने अपने धन्धे का विकास किया है। बैंक के एजेण्ट श्री मोरे ने बताया कि इन मुड्डे वालों ने सम्पूर्ण ऋण राशि ब्याज समेत निश्चित अवधि में वापस लौटा दी है। ये मेहनती और उद्योगी लोग अपनी समृद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं। मुड्डे वालों को उनकी आवश्यकतानुसार 200 रु० से 5,000 रु० तक के ऋण बैंक से प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार मिट्टी के खिलौने बनाने वाले भी बीस सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। शिव, गणेश, दुर्गा, राधा-कृष्ण आदि की मनोहर मूर्तियां बनाने वाले तुलाराम को 800 रु० का ऋण मिला है जिसका उपयोग उसने मिट्टी, सांचे, रंगरोगन आदि में खर्च किया है। उसने बताया कि ऋण की सुविधा से उसके धन्धे की तरक्की हुई है।

भूमिहीनों को जमीन

जिलाधीश श्री के० के० सक्सेना से भी पत्रकार दल ने भेंट की और आर्थिक कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधीश ने बताया कि एक हजार से अधिक भूमिहीनों को खेती की जमीन बांट दी गई हैं। उस जमीन पर उन्हें वास्तविक कब्जा दिलाया गया है। आपातस्थिति के बाद काम में तेजी आई है। सीलिंग के लगभग सभी मामले निपटा दिए हैं। जिन के पास कानून से अधिक जमीन थी उनसे वह जमीन लेकर उन लोगों में बांट दी गई है जिनके पास खेती की जमीन नहीं है। परिवार नियोजन के काम में भी अच्छी प्रगति हो रही है। इस वर्ष जिले में अब तक 4000 स्त्री-पुरुषों की नसबन्दी की जा चुकी है। बाढ़ों से अजमेर शहर के बचाव के लिए आनासागर पर जल नियन्त्रण द्वार बनाए जा चुके हैं जिससे इस साल अजमेर शहर बाढ़ से पूर्ण सुरक्षित रहा। पत्रकारों ने रात्रि को जन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की उन्हें नेताओं ने बताया कि आपात स्थिति के बाद अनुशासन के वातावरण में जनता अपनी समस्याओं को हल करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

उत्साह का वातावरण

अजमेर से 25 सितम्बर की सुबह दिल्ली लौटते हुए रास्ते में पत्रकार दल ने तिलोनियां में सोशियल वर्क एण्ड रिसर्च सेण्टर भी देखा जहां विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 30 विज्ञान-स्नातक, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, सिंचाई आदि क्षेत्रों में शोध और प्रयोग कर रहे हैं। सिलोरा पंचायत समिति के चुने हुए गांवों में ही नहीं कोटा और भीलवाड़ा जिलों के गांवों में भी ग्रामीणों को इस स्वयं सेवी संस्था को एकीकृत सघन योजना का लाभ मिल रहा है इस योजना के अन्तर्गत 110 ग्रामों को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम है। कृषक और उसके परिवार की सभी समस्याओं को हल करके ग्रामों को सर्वांगीण उन्नति के लिए यहां शोध और प्रयोग का कार्य चल रहा है। विदेशी अतिथियों ने राय दम्पत्ति के नेतृत्व में संचालित तथा सरकारी सहायता प्राप्त इस केन्द्र की उन्नति की शुभकामना की।

रूसी पत्रकारों ने इस यात्रा में अनुभव किया है कि आपातस्थिति के बाद अनुशासन की भावना जागृत हुई है, लोगों का मनोबल ऊंचा उठा है और आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी क्षेत्रों में उत्साह का वातावरण व्याप्त है। ★

हास्य-कथा

अ स र

रमेश तिवारी 'वीरान'

पंडित राम खिलावन इस इलाके के जाने-माने पंडित हैं। चार छः आस पास के गांवों में कथा-वार्ता से लेकर जन्म-मृत्यु तक उनका ही असर चलता हैं। पंडिताई का भी अद्भुत महत्व है—समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका राज्य फैला है। जो जन्मा है, उसका विवाह भी होगा (कुछ बेचारे छूट भी जाते हैं)। विवाह हुआ है तो बाल-बच्चे भी होंगे और फिर वह मरेगा भी, बस कोई भी अवसर हो, पंडित जी को बुलाए वगैर काम नहीं चलता।

पिछले सप्ताह मेरी पत्नी ने तीसरी संतान को जन्म दिया उसके साथ ही उसने मेरी राय से अपना आपरेशन भी अस्पताल में करा लिया। आपरेशन सफल रहा। सकुशल जच्चा-बच्चा दोनों घर आ गए तो आंगन में ढोलक गूंजी। घर-बाहर उछाह का दरिया बहा। बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए मैं पंडित जी को बुलाने गया था।

पंडित राम खिलावन अपने बगीचे में चारपाई पर बैठे खानी तमाखू खा रहे थे। मेरे प्रणाम का उत्तर उन्होंने आशीर्वाद से दिया। मैंने आने का कारण बताया, स्वीकृति दे दी उन्होंने। वे तो जैसे मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने गोली दाग दी—'सुना हैं तुमने बहुरिया को बांझ बना दिया है, भाई! ये अच्छी बात नहीं, राम-राम, कलयुग है कलयुग।'

धर्मपत्नी के परिवार-नियोजन सम्बन्धी आपरेशन का समाचार उन्हें मिल गया होगा, उसी पर उनकी प्रतिक्रिया थी यह। उनका ही क्या, कई लोग मुझसे पूछ चुके थे, किसी को जिज्ञासा थी, किसी को भय, कोई व्यंग्य कस रहा था और कोई तरस खा रहा था। पंडित जी ने भी लगे हाथ तीर चलाया। मैंने भी पंडित जी के सामने चारपाई पर बैठते हुए मोर्चा संभाला।

मैं बोला—'उसे बांझ क्यों कहते हो पंडित जी? उसके ही दम से मेरे आंगन में तीन-तीन संतानें हैं। भरी-पूरी गृहस्थी की मालकिन है मेरी धर्मपत्नी!'

'मगर अब तो बांझ हो गई। करा लाए जज्ञ अस्पताल से? अब तो कभी घर में शहनाई न बजेगी?'— पंडित जी चहके।

'ऐसी शहनाई से क्या लाभ पंडित जी! जो बजती ही जाए, बजती ही जाए और उसमें से रोने का स्वर निकलने लगे?" मैंने प्रश्न में ही उत्तर दिया।

'क्या मतलब? मैं समझा नहीं,' पंडित जी ने तेजी लाते हुए कहा।

'मेरे दो पुत्र हैं और एक कन्या। मैं इससे ज्यादा संतानों को अच्छी तरह नहीं पाल सकता। बच्चे ज्यादा हों तो खुशी के बजाय समस्याएं ही बढ़ती जाती हैं, महाराज!' मैंने पंडित जी से कहा।

पंडित जी के अपने छः बच्चे हैं। वे चोट खा गए। वे बोले— 'बस-बस! कलयुगी बातें न करो। ये बाल-बच्चा होना भगवान का काम है। भगवान के काम में दखल नहीं देना चाहिए।'

'ठीक कहते हो पंडित जी'। मेरे स्वर में अनचाहा व्यंग्य उभरा—'अपने काम को भगवान का काम बताते हो। और मान भी लिया कि ये भगवान का काम है तो एक प्रश्न का जवाब दो, जब आप बीमार होते हैं तो डाक्टर से दवा क्यों लाते हैं? बीमारी भगवान ने दी है, उसके काम में दखल क्यों देते हो आप? बारिश में छाता क्यों लगाते हैं? वर्षा तो भगवान ने दी है—भोगो।'

'भाई, तुम तो तर्क करते हो?' पंडित जी उलझ गए थे। 'तर्क की तो बात ही है पंडित जी। आप खुद सोचो, मनुष्य और पशु में यही अन्तर है। पशु ने प्रकृति को—जैसी है, वैसी ही स्वीकार कर लिया, लेकिन मनुष्य ने बुद्धि से प्रकृति को अपने अनुकूल बनाया है। अगर हम सर्दी-गर्मी से बचने का उपाय कर सकते हैं और भगवान के काम में दखल नहीं होता, तो आज अपनी इस समस्या के लिए विज्ञान का सहारा लें, इसमें एतराज क्या है?' 'पर भइया, शास्त्रों में लिखा है···इससे पहले कि पंडित जी शास्त्रों की तरफ दौड़ें, मैंने उनकी बांह पकड़ते हुए कहा—'क्या लिखा है शास्त्रों में ध्यान से पढ़ो। आप ही बताइए—राम के दो पुत्र, शिव जी के दो ही पुत्र और कौरव सौ, रावण के एक लाख पूत, सवा लाख नाती। आप ही बताइए, आदमी को राम बनना चाहिए या रावण?'

'अरे मैं कब से कह रही हूं कि अपना आपरेशन करा लो या मुझे कराने दो।' पर इनको सूझे तब न? अब तुम्हीं समझाओ इन्हें' कहते हुए पंडिताइन भौजी दूध का गिलास लिए बाहर आ गईं। वे भीतर से ही हम लोगों की चर्चा सुन रही थीं। मैंने उन्हें प्रणाम किया। एक गिलास मुझे और दूसरा पंडित जी को उन्होंने थमाया।

'अरे तुम चुप रहो'—पंडित जी उनके हाथ से गिलास लेते हुए बिगड़े-'तुम क्या जानो सही क्या है और गलत क्या?'

'ठीक है, हम कुछ नहीं जानतीं। पर बच्चा होने में बीतती तो हमारे ऊपर है। एक बार 'नौ मास' संभाला तो···।' और हम दोनों के ठहाकों से बगीचा गूंज गया।

भौजी बोली—'देवर जी; इस बार मुन्ने का नाम रखो—नियोजन लाल, राशि इनसे पूछ लेना। अरे भाई उसने आते ही मां को उबार लिया।'

हम दोनों एक बार फिर हंसे। वे आगे बोलीं—और सुनो आज यह नामकरण का काम-धाम निपटाकर, कल इन्हें भी अस्पताल ले जाओ।'

हम दोनों एकबार फिर हंसे। वे आगे बोली—'और सुनो—

(शेष पृष्ठ 19 पर)

ईंधन का ईंधन और खाद की खाद

हरिश्चन्द्र सिंह

प्रगति का सूचक—गोबर गैस प्लांट

गोबर गैस में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, जिसे उसमें से निकाल कर ईंधन के रूप में जलाया जा सकता है। इस ऊर्जा को निकालने के लिए 'गोबर गैस संयंत्र' का लगाना परमावश्यक है। यह संयंत्र गोबर का उपचार करके उसमें से मीथेन गैस निकाल देता है। इस गैस को आप गैस होल्डर में इकट्ठा कर सकते हैं। गैस निकालने के बाद गोबर और पानी के बचे हुए भाग में नाइट्रोजन और वानस्पतिक खाद की मात्रा बहुतायत से पाई जाती है। अब आप ही बतलाएं, यदि गोबर से ईंधन भी मिले और साथ ही अच्छी प्राकृतिक खाद भी तो इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? गोबर के इस प्रकार के उपयोग को आप भी आजमा सकते है। इससे आपके ईंधन और खाद की समस्या का हल निकल आएगा। साथ ही आप अधिक अन्न उत्पादन भी कर सकेंगे।

गैस संयंत्र के उपचारित होने के बाद गोबर और मल-मूत्र उत्तम और पोषक तत्वों से भरपूर खाद के रूप में बदल जाता है। ऐसी खाद दुर्गंध रहित होती है। इस पर मक्खियां भिनभिनाती नहीं हैं और न मल-मूत्र के रोग फैलते हैं। इस संयंत्र से प्राप्त गैस जलने पर नीली गर्म आंच प्रदान करती है। उसमें किसी प्रकार की दुर्गन्ध नहीं होती है। साथ ही मिनटों में ही भोजन पक जाता है। उपज और अन्य ईंधनों से अस्वास्थ्यकारी धुंआ और गन्दगी होती है। मीथेन गैस के उपयोग से बर्तन बिल्कुल गन्दे नहीं होते हैं। आप अपने रसोई घर में चमचम करते बर्तन देखेंगे।

आप गोबर को गैस संयंत्र में डाल कर दो लाभ एक साथ उठा सकते है। ईंधन भी सुलभ होता है और खेतों के लिए अच्छी खाद भी। इसके विपरीत गोबर के उपले बनाकर जलाने के काम में लाएं अथवा खेत में साधारण खाद के रूप में डालें तो दो में से केवल एक ही लाभ मिलता है। संयंत्र में खाद और गैस दोनों ही सीधे गोबर से प्राप्त होते है। यह एक अतिरिक्त लाभ है। उदाहरण के लिए गैस निर्माण की प्रक्रिया में केवल एक चौथाई गोबर ही उपयोग में लाया जाता है। परन्तु गैस की आंच सीधे गोबर जलाने की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, गैस की तापीय क्षमता 60 प्रतिशत होती है, जबकि उपलों की तापीय क्षमता 11 प्रतिशत होती है। इसी प्रकार गैस संयंत्र से प्राप्त खाद की मात्रा साधारण खाद की अपेक्षा 43 प्रतिशत अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है कि गैस डाइजेस्टर में गोबर अल्प मात्रा में ही नष्ट होता है, जबकि साधारण खाद बनाने में गोबर के अधिकांश तत्व नष्ट हो जाते हैं।

संयंत्र की गैस का उपयोग भोजन पकाने, बत्ती जलाने या चालक शक्ति के रूप में किया जा सकता है। इस गैस का संघटन कोयले और वर्शेन गैस से भिन्न होता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि ज्वालक अथवा लैम्प गैस उपकरण भी इसी गैस के उपयोग के लिए भिन्न होते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने काफी लम्बी खोज-बीन के बाद इस गैस के उपयुक्त उपकरणों की डिजाइन बनाई हैं। इसलिए गोबर गैस का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि खादी आयोग द्वारा खोजे ज्वालकों और लैम्पों का उपयोग किया जाए।

गोबर गैस का उपयोग तेल से चलने वाले इन्जनों के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि काफी मात्रा में गैस सुलभ हो। अनुमान लगाया गया है कि प्रति घण्टा प्रति अश्व शक्ति के लिए 425 लिटर गैस की औसतन जरूरत होती है। ईंधन में पानी खींचने वाला पम्प अथवा जेनरेटर भी जोड़ा जा सकता है। अगर 5 अश्व शक्ति वाले इन्जन को आठ घण्टे चलाना हो तो प्रतिदिन कम से कम 18 घन मीटर गैस की आवश्यकता होगी। उसका अर्थ यह हुआ कि केवल

इसी काम के लिए कम से कम 30 से 35 पशुओं की जरूरत पड़ेगी। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल से चलने वाले अंतरदाही ईंधनों को गैस इन्जनों में बदलने के लिए उसमें एक विशेष उपकरण जोड़ना पड़ेगा। यह विशेष उपकरण खादी ग्रामोद्योग सुलभ कर सकता है।

संयंत्र से निकलने वाला मिश्रण नाइट्रोजन और वानस्पतिक तत्व दोनों ही रूपों में बहुत समृद्ध होता है। इस संयंत्र में पूरी तरह उपचारित होकर गोबर एक नए रूप में निकलता है। यदि इससे खेती को बहुत अधिक लाभ पहुंचता हो तो उसे सिंचाई के पानी के साथ सीधे खेत में पहुंचाया जाता है। इस पद्धति द्वारा खेती में खाद पहुंचाने पर फसल को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ताजे मिश्रण में नाइट्रोजन का तत्व दो प्रतिशत से अधिक होता है और यह मिश्रण एक ऐसी स्थिति में होता है कि मिट्टी में आसानी से घुल-मिल जाता है।

यदि मिश्रण का उपयोग सिंचाई के पानी के साथ न किया जा सके तो इसका उपयोग कम्पोस्ट में ले जाकर शीघ्रता पूर्वक सड़ाने में किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए गैस संयंत्र के पास ही अनेक कम्पोस्ट गड्ढे खोदे जाते हैं। बाहर निकलने वाले मिश्रण को एक नाली द्वारा पहुंचाया जाता है। घास-फूस, पत्तियों, मक्के की बची हुई बालों जैसी प्राकृतिक चीजों और अन्य ऐसे ही अनेक प्रकार की बेकार वस्तुओं को गड्ढे में डालकर एक सतह बना दी जाती है। इसके ऊपर फिर बेकार की घास-फूस डाली जाती है और इस प्रकार की प्रक्रिया को तब तक दुहराया जाता है जब तक कि गड्ढा पूरी तरह भर न जाए। इसके बाद संयंत्र के मिश्रण को अन्य गड्ढों तक पहुंचाया जाता है और उन्हें इसी प्रकार भर दिया जाता है।

गोबर गैस वाली खाद को अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि जैसे रासायनिक उर्वरकों के मिश्रण से बहुत उत्तम बनाया जा सकता है। इस प्रकार की खाद बहुत उत्कृष्ट होती है।

गैस संयंत्र का आकार किसी भी स्थान पर पशुओं या आदमियों की वास्तविक संख्या के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सबसे छोटा गैस संयंत्र 2 घन मीटर का होता है, जिसके लिए लगभग दो से तीन पशुओं की आवश्यकता होती है। भोजन पकाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 8 घन फुट गैस की जरूरत पड़ती है। प्रकाश के लिए 100 कैंडेल पावर के प्रत्येक लैम्प के लिए 4·5 घन फुट की आवश्यकता होती है। गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए खादी ग्रामोद्योग कुल लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में देता है। शेष रुपये किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से उधार लिए जा सकते हैं। इस ऋण पर सामान्य दर से ब्याज वसूल किया जाता है।

गैस संयंत्र के फटने या विस्फोट होने का कोई डर नहीं होता। दुर्गन्ध फैलने अथवा मक्खियों और कीड़े की वृद्धि की भी कोई समस्या नहीं होती। इसलिए गैस संयंत्र को भरसक घर के आस-पास ही लगाया जाता है। गैस संयंत्र के पास में ही कम्पोस्ट गड्ढे खोदने के लिए काफी जगह सुलभ होनी चाहिए, ताकि बाहर निकलने वाली मिश्रण को एकत्र किया जा सके।

भारत सरकार इस योजना के क्रियान्वयन में काफी रुचि ले रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने देश भर में एक लाख गोबर गैस संयंत्र लगाने का निश्चय किया है। उसने यह काम पूरा करने के लिए खादी ग्रामोद्योग को सौंप दिया है। इसके स्थानीय कार्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं और मुख्य कार्यालय बम्बई में है। इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में खादी ग्रामोद्योग से आवश्यक पत्र व्यवहार करे।

निःसन्देह गोबर गैस संयंत्र गांवों में लगाने से एक नई क्रान्ति होगी। नई चहल-पहल मच जाएगी। ईंधन और खाद की समस्या हल हो जाएगी। इसके फलस्वरूप हम बहुमूल्य 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे। गांवों में जो बिजली की कमी है, उसकी क्षतिपूर्ति अपने आप हो जाएगी। इस तरह गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकेंगे।

104/3643, तिलक नगर
चेम्बूर
बम्बई-400089

★

अमर...... (पृष्ठ 17 का शेष)

'भाई, कुछ सोचने समझने भी दोगी? बस हवा पर सवार हो—' पंडितजी ने स्थिति संभालनी चाही।

'अच्छा तो तुम पोथी पढ़ो और समझो-बूझो। मैं किसी दिन मन्दिर के बहाने अस्पताल जाकर आपरेशन करा लूंगी और तुम्हें वहीं से खबर कर दूंगी।' भौजी ने अल्टीमेटम दिया।

पंडित जी समझ गए, स्थिति गम्भीर है। अब समर्पण करना ही होगा। बोले—

'अरे, अब तुम बैठो। हम खुद कल इनके साथ जाएंगे। इस बुढ़ापे में तुम्हें कोई डाक्टर हाथ लगाए इससे अच्छा है हमें ही कोई नर्स गुदगुदाए' पंडित जी की चुटकी से भाभी लाल हो गईं।'

और इस तरह कल अस्पताल में पंडित राम खिलावन की संगति कथा पूरी हो गई। अन्तर यह कि कथा कही डा० मोदी ने और सुनी पंडित जी ने—'प्रसाद' भी मिला पंडित जी को!

—प्राध्यापक हिन्दी
शासकीय महाविद्यालय
सीधी (म० प्र०)

●

जल संसाधन उपयोग और प्रशासन

निरंकार सिंह

मानव जीवन के विकास के लिये जल स्रोतों की खोज और जल संसाधनों का उपयोग और सन्तुलित वितरण अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो जल सारे भूमण्डल में किसी न किसी रूप में है किन्तु जल के प्रधान स्रोत सरिता, झील, तालाब, कुएं और समुद्र हैं जिनका उपयोग मानव विकास के लिये किया जा सकता है।

संपूर्ण संसार में जो जल उपलब्ध है उसका 92 प्रतिशत भाग महासागरों और सागरों में, 3 प्रतिशत हिम क्षेत्रों में और 5 प्रतिशत पृथ्वी पर उपलब्ध है। पृथ्वी के नीचे जल का बृहद् भंडार होने का अनुमान किया जाता है। जो जल वर्षा द्वारा पृथ्वी पर गिरता है वह प्रथम तो पृथ्वी के प्राकृतिक गुरुत्व के कारण या तो भूमि के अंतरतल में प्रविष्ट हो जाता है या नाली और नालों के द्वारा नदियों में जा गिरता है और वहां से पुनः सागरों में प्रवेश करता है। कुछ जल वाष्प रूप में वायुमण्डल में मिश्रित हो जाता है, कुछ बनस्पतियों द्वारा भूगर्भ से खिचकर वायु के सम्पर्क से वाष्प रुप में बदल जाता है। पृथ्वी के अन्तरतल में प्रविष्ट जल का कुछ अंश स्रोतों द्वारा प्रकट होकर नदी, नालों या अन्य नीचे के स्थलों पर प्रवाहित या संकलित होने लगता है।

जब जल की मात्रा किसी कारण बहुत बढ़ जाती है तो नदी, नाले, बाढ़ अथवा बढ़ोत्तरी के रूप में बह निकलते हैं और यदाकदा बड़ी क्षति पहुंचाते हैं। वैसे तो पानी का बहाव प्रकृति के अकाट्य नियमों के अन्तर्गत होता है, किन्तु हरेक स्थल की भूमि की रूपरेखा, वहां की वनस्पति, आबोहवा और मनुष्य द्वारा बनाए हुए बहुत से कृत्रिम साधनों आदि के कारण, पानी के बहाव में बहुत परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी जगह कोई रोक हो तो उस रोक के कारण, पानी के बहाव का वेग बढ़ना आवश्यक है, इसीलिये पानी की वेगवती धारा के संपर्क में बड़ी बड़ी चट्टानें भी धीरे-धीरे घुल जाती हैं। इसी कारण नदियों के मुहानों पर नदियों द्वारा लाई हुई रेत से नई भूमि बनती जाती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर बड़े-बड़े मैदान, जैसे उत्तरी भारत में गंगा और सिन्धु के विशाल मैदान, हिमाचल से लायी हुई रेत के बने हुए हैं। इस बनावट में सहस्रों क्या करोड़ों वर्ष लगे होंगे। अब भी गंगा के मुहाने पर सुन्दरवन आदि के क्षेत्र-प्राकृतिक जलावगमन द्वारा ही बढ़ते चले जा रहे हैं।

पृथ्वी के अंतस्थल में भी जल के अनेक परत स्थित हैं। कहीं-कहीं, जल पृथ्वी तल के समीप मिलता है और कहीं पर अधिक गहराई पर। इस क्षेत्र में जल विज्ञान का संबंध भूगर्भ विद्या से हो जाता है। फिर जलोत्पादन के निमित्त जहां बड़े-बड़े कूप खोदे जाते हैं या कृत्रिम नलकूप बनाए जाते है वहां यह प्रकट होता है कि रेत की परतों में जो जल विद्यमान है वह अवसर मिलने पर साधारण जलस्रोतों के तल तक आ जाता है। इनमें से कोई-कोई जल सहस्त्रों वर्ष पहले पृथ्वी के गर्भ में प्रविष्ट हो वहां उसी दशा में सदियों पड़ा रहता है, कुछ जलराशि धीरे-धीरे समुद्र की ओर भूगर्भ के भीतर ही भीतर प्रवाहित होती रहती है।

प्रवाहित जल का मापन भी जल वितरण का एक आवश्यक अंग है। इसका प्रयोग विशेषतः भूमि सिंचन के साधनों में जलविद्युत, पनचक्की आदि मे होता है। आजकल के युग में तो बहुत से कारखानों में भी जल का प्रयोग ठंडक पहुंचाने अथवा जल द्वारा चालित मशीनों को चलाने के लिये होता है। अतः भिन्न-भिन्न प्रकार की जलमापन की विधियों का होना अनिवार्य है। बड़ी नदियों में जब बाढ़ आती है, उस समय जलमापन एक समस्या बन जाता है, क्योंकि नदियों के तल में रेत और मिट्टी भी जल के साथ बहती है। इसके अलावा पानी के बहाव में घर्षण द्वारा बहुत से दबाव का क्षय होता है। इसी कारण बहुधा ऊंचे या दूरी पर स्थित स्थलों पर जलप्रदाय साधनों में पानी अनुकूल दबाव से नहीं निकल पाता। वैसे खुली नहरों में भी घर्षण द्वारा दबाव का का क्षय होता है। जल इंजीनियरी द्वारा इस प्रकार के बहुत से साधन प्रस्तुत किए जाते हैं कि दबाव का क्षय कम से कम हो। इसलिये पानी के भागों को पक्का या चिकना करने के साधन उपयोग में लाए जाते हैं। नालिकाओं में जहां जोड़ या मोड़ आते हैं अथवा नालिका जहां बड़ी से छोटी होती है वहां दबाव का क्षय होता है। दबाव के इस क्षय का अनुमान बर्नुली के समीकरण द्वारा किया जा सकता है।

बड़े-बड़े तालाबों या जलाशयों में अथवा विशेष अन्य कार्यों की पूर्ति में भूगर्भ की रिसन (सर्पण) द्वारा पानी का क्षय होता है। इसके लिये जल इंजीनियरी के सिद्धान्तों द्वारा ऐसे साधन जुटाए जाते हैं जिनसे या सर्पण बिलकुल बंद हो जाए अथवा सर्पण द्वारा पानी इतने ही वेग से बहे, जिससे भूमि के कण हटने न पाएं। यदि भूमि के कण हटने लगते हैं तो परिणाम यह होता है कि आकल्प पर निर्धारित कार्य के अन्दर पोल होती रहती है और कार्य की स्थिरता जोखिम में पड़ जाती है।

इस सम्बन्ध में बहुत सा कार्य भिन्न-भिन्न देशों में हो चुका है। बिलाई द्वारा

निर्धारित 'सर्पण' सिद्धान्त पर आधारित बहुत से काम बनाए गए हैं। इस सिद्धान्त का मूल यह था कि यदि सर्पण का मार्ग लंबा कर दिया जाए तो उससे निकास का वेग कम हो जाएगा। इसके बाद भारतीय इंजीनियर खोसला ने एक और लक्ष्य घोषित किया, जिसके आधार पर बहुत से काम बनाए गए।

जल के उचित वितरण के लिए बड़े बड़े बांध तथा नदियों में रोक या बाराज बनाये जाते हैं। जहाँ पानी संचित करने के लिए बांध बनाते हैं वहां बांधों की स्थिरता जांचने के लिए बड़ी खोजबीन करनी पड़ती है।

जब जल बहुत अधिक दबाव में निकलता है तो उसकी कटान की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी चट्टानें उसके कारण कट जाती हैं। अतः बड़े बड़े बांधों पर अतिरिक्त जल की निकासी की समस्या बड़ी विकट होती है। उसके निकास स्थल को विशेष रूप से पक्का बनाया जाता है। कहीं कहीं तो जल में निर्मित शक्ति को व्यय करने के लिए एक गोलाकार तशलें की सी शक्ल बनानी होती है। इस प्रकार नीचे गिरकर जल कुछ ऊपर उठता है और उसमें निर्मित शक्ति का ह्रास हो जाता है।

जल इंजीनियरों का एक विशेष चरण साधारण पनचक्की से संबन्धित है। यही युक्ति प्रगति पाकर पनबिजली के उत्पादन में लगती है।

जल की माप आदि का विषय भी जल इंजीनियरी का महत्वपूर्ण अंग है। साधारणतः पाइपों में पानी की माप जलमीटरों से हो जाती है, किन्तु नहरों में तथा नदियों में पानी की माप के लिए भिन्न-भिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ नए-नए तरीके पानी की माप के लिए निकाले जा रहे हैं। यह विषय इस लिए और भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय जल विभाजन संधियों में अथवा अंतर्प्रादेशिक जल वितरण में पानी की ठीक माप द्वारा ही जल का उचित रूप से विभाजन हो सकता है। इस लिए द्रव में घोल मिलाकर तत्व मिश्रण विधी से अथवा अन्य साधनों से पानी की मात्रा का अनुमान (परिमापन) किया जाता है। साधारणतः विशेष स्थानों पर स्वचालित माप-अभिलेखक लगा दिए जाते हैं जिससे पानी की माप का लेखन स्वचालित मशीन द्वारा हो जाता है।

जल के धरती पर अत्यंत प्रचुर मात्रा में विद्यमान होने पर भी जलपूर्ति का सम्यक् बंटवारा, नियोजन और उचित प्रवन्ध न होने की वजह से विश्व के अनेक भागों में आवश्यकतानुसार यथेष्ट जल पूर्ति के बिना अनेक तरह की कठिनाइयों, कष्टों और विभीषिकाओं के आवर्त में लोगों को निरन्तर फंसना पड़ता है। सिंचाई के साधनों के अभाव के साथ ही समय पर वर्षा का जल भी न मिलने पर खाद्यान्न की फसलें नष्ट हो जाती हैं और अकाल की नौबत आ जाती है। शुद्ध पेयजल के अभाव से महामारी का दौर दौरा शुरु हो जाता है। दूसरी तरफ अधिक वर्षा और नदियों में बाढ़ के कारण अनावश्यक जल का फैलाव दूसरी तरह की तबाही पैदा करता है। फिर जल की वह समस्या मात्र व्यक्ति और देश से ही सम्बद्ध नहीं है। नदियों का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए जल संसाधनों का मानवता के हित में समुचित उपयोग के लिए उनके समुचित नियोजम की आवश्यकता है।

प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गाधी ने कहा कि विश्व की जनता के समुचित भरण-पोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों की कमी नहीं है आवश्यकता मिल-बांट कर उपभोग करने के संकल्प की है। आपने कहा कि कहीं कहीं समृद्धि और कहीं विपन्नता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इस विपन्नता को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का कोई अन्तर्राष्ट्रीय आधार प्रस्तुत करना होगा और संसाधनों के उपयोग और उपभोग को सबके लिए सुकर बनाने के लिए जनता में कहीं भी उपलब्ध आवश्यक तकनीकी जानकारी और संसाधनों को समवेत कर समस्या का समाधान ढढ निकालना ही होगा।

भारत वर्ष के जल से पोषित देश है और यदि देश के जल संसाधनों को आधुनिक उपायों और प्रक्रिया द्वारा विकसित किया जाय तो भारत की समस्याओं का इस दिशा में बहुत कुछ समाधान हो सकता है। जिन जल संसाधनों तक आसानी से पहुंच हो सकती थी, उन सबको काम में लाया जाना चाहिए। अतिरिक्त जल संसाधनों को उपयोग के योग्य बनानेके लिए जल-को काफी ऊंचाई तक उठाने की जटिल यांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन सब कामों के लिए अद्यतन तकनीकी ज्ञान और कुशल व्यवस्था की अपेक्षा होती है। जल-संसाधनों का उपयोग घरेलू इस्तेमाल के अलावा सिंचाई, औद्योगिक कार्यों और ऊर्जा उत्पादन के लिए है। हमारी कृषि और खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए सम्प्रति जितने सिंचाई साधन चाहिये उसके आधे ही उपलब्ध हैं। सिंचाई साधनों के विकास के लिए अभी जिन परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, उनके पूरा हो जाने पर भी एक तिहाई ही अतिरिक्त भूमि सिंचाई सुविधाओं से युक्त हो सकेगी। भूतपूर्व केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री और जल संसाधनों के सम्बन्ध में एक माने हुए विशेषज्ञ डाक्टर के० एल० राव ने सुझाव दिया है कि उत्तर और दक्षिण की नदियों को मिलाकर यदि जल संसाधनों का राष्ट्रीय 'संजाल' बना दिया जाए तो सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल भी मिल जाएगा और बाढ़ का पानी जन-धन की भारी तबाही का कारण न बनकर, सतत् अवर्षण वाले क्षेत्रों में पहुंचकर त्रस्त और पीड़ित लोगों के जीवन में नयी आशा का संचार करेगा। डाक्टर राव की गंगा को कावेरी से मिलाने की योजना के अन्तर्गत न केवल जल से समुचित उपयोग की व्यवस्था होगी प्रत्युत् इस अतिरिक्त जल के प्रवाह और उद्चन की प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की व्यवस्था भी हो सकेगी। डाक्टर राव के अनुसार यदि सब कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो कारण नहीं कि इस शताब्दी के अन्त तक

(शेष पृष्ट 23 पर)

आदर्श ग्राम रूपाखेड़ा

रमाशंकर त्रिपाठी

आदर्श ग्राम की कल्पना तो सबने की होगी परन्तु वस्तुत: उसे देखने का सौभाग्य कम ही लोगों को मिला होगा। यदि किसी को सही रूप में आदर्श ग्राम देखना है तो उसे मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रूपाखेड़ा ग्राम में पहुंचना चाहिए। यह ग्राम रतलाम शहर से करीब पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर है। दस, ग्यारह किलोमीटर पक्की सड़क पर जाने के बाद कच्चा मार्ग मिलेगा परन्तु इस पर जीप आसानी से चली जाती है।

जब मुझे भोपाल में पहली बार बताया गया कि ऐसा ग्राम रतलाम जिले में है तो मुझे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। परन्तु जिस स्रोत से जानकारी मिली थी, उस पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता था। इस तरह विश्वास और अविश्वास के मानसिक द्वन्द्व के बीच मैं रतलाम पहुंचा। वहाँ से चल कर जब कच्चे मार्ग पर जा रहा था तब ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि यह रास्ता एक ऐसे ग्राम को जायेगा जो मेरी कल्पना से भी बढ़कर होगा। गांव में साफ सुथरे कच्चे पक्के सुडौल मकान तथा लम्बे चौड़े रास्तों से पहुंचते ही मेरे अविश्वास को एक झटका दिया और जब मैंने वहां के लोगों से बातचीत की तब तो सारा अविश्वास उड़नछू हो गया और मैंने महसूस किया कि वहां तक जाने का मेरा सारा श्रम सार्थक हो गया।

रूपाखेड़ा एक छोटा-सा गांव है। करीब चार सौ लोगों की आबादी वाले इस गांव में कुल मिलाकर 70 घर हैं 40 कोलम्बियों के और शेष 30 आदिवासियों के। यहां न तो कोई भूमिहीन है और न ही सरकारी सहायता के बल पर जीने वाला करीब करीब सभी लोग परिवार नियोजन की महत्ता और आवश्यकता को समझते हैं और बहुत दिनों से परिवार नियोजन के उपायों को अपना रहे हैं।

यद्यपि लोग अधिक शिक्षित तो नहीं हैं परन्तु अनुशासन, परिश्रम, दृढ़संकल्प, भाई-चारे की भावना तथा गांव की सामूहिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने की दृष्टि से शिक्षितों से हजार गुना अच्छे हैं यहां कोई दुर्व्यसन नहीं हैं। चोरो-बदमाशों की तो बात अलग रही यहां शायद ही कोई सिगरेट बीड़ी पीता हो। आदिवासी वैसे तो शराब के मामले में काफी बदनाम हैं, परन्तु यहां के आदिवासी परिवारों ने इस लत पर भी काबू पा लिया है।

लगता है, ये सारे सदगुण यहां के निवासियों को विरासत में मिले हैं। इस गांव की उत्पत्ति का इतिहास काफी दिलचस्प है। करीब 50 साल पहले आस-पास के क्षेत्रों में कुछ लोगों ने देशी रियासत द्वारा शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। बंधक मजदूरी करने से सर्वथा इंकार किया और जब ठाकुरों ने गांवों से निकालने की धमकी दी तब अपना अलग ही गांव बसा लिया और उसका नाम रक्खा ...रूपाखेड़ा...। शुरू से ही इस गांव पर सर्वोदय कार्यकर्ताओं की कृपा रही है और उन्हीं के मार्ग-दर्शन में आज भी यह गांव सारी बुराइयों से दूर प्रगति के पथ पर बड़ी तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है।

आधुनिक ढंग से खेती की उपज बढ़ाने में रूपाखेड़ा अग्रणी है। सीमित साधनों का भरपूर लाभ किस तरह लिया जा सकता है यह कोई यहां के लोगों से सीखे। इस गांव की प्रगति का कारण है यहां के लोगों में आगे बढ़ने की अदम्य भावना और आपसी मेल। सहकारी संस्था यहां एक भी नहीं परन्तु हर काम में सहकारिता के दर्शन होते हैं। उर्वरक हो या उन्नत किस्म के बीज, सब कुछ बाजार से इकटठा मंगाकर आपस में आवश्यकतानुसार बांट लिया जाता है। गांव वालों ने सिंचाई के लिए करीब 50 कुएं खोदे हैं और उन पर पम्प लगाये हैं। सिंचाई सहकारिता के आधार पर होती है और सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को देखते समझते हुए ईमानदारी से पानी लेते हैं। परस्पर मेल-जोल के कारण केवल कुएं की सिंचाई के बल पर ही इस गांव के लोग साल में दो-दो, तीन-तीन फसलें लेते हैं।

यहां के लोगों ने अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना स्वयं का एक ग्रामकोष खोल रक्खा है क्योंकि उन्हें सरकारी सहायता के भरोसे बैठे रहना पसंद नहीं है। ब्याज की दर तय कर ली गयी है—एक रुपया प्रति सैकड़ा। सबसे सुखद आश्चर्य की बात तो यह है कि ग्राम कोष में बचत की राशि को जमा करने के लिए कोई दबाव नहीं।

इसी प्रकार गांव की सामूहिक भलाई के लिए किए गए कार्यों में भी कम ज्यादा पैसे देने के मामले में किसी को किसी से भी कोई शिकवा-शिकायत नहीं हैं। इन सब कारणों से बड़े कठिन लगने वाले कामों को भी यहां के लोगों ने अपेक्षाकृत कम समय और खर्च में पूरा कर दिखाया है। कई साल पहले गांव के पास बह रही नदी पर गांव वालों ने एक बड़े पुल का स्वयं निर्माण कर दिखाया जिसकी लागत केवल 18 हजार रुपये थी जबकि उस समय उस पर सरकारी खर्च का अनुमान 48 हजार रुपये आंका गया था। पिछले साल ही बिजली मिलने पर गांव वालों ने 13 हजार रुपये खर्च कर अपनी स्वयं की पेय जल योजना क्रियान्वित की। गांव के बाहर स्थित एक विशाल जलकुण्ड से पाइप लाइन बिछाकर, गांव के बीचों-बीच पहले से ही बनाई गई एक बड़ी टंकी में पानी संग्रहीत किया जाता है

ताकि गर्मी में भी गांव की बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति आसानी से की जा सके। पर यहां के लोगों ने गांव में ही ईंटें तैयार कर अपने पक्के मकान बनाने हैं। चाहे ईंट बनाने का काम हो या फिर दीवार उठाने का, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। सही माने में धर्म निर्पेक्षता की भावना इसी गांव में देखने को मिलती। सबने मिलकर गांव के बीचोंबीच एक मन्दिर की स्थापना की है जिसमें ईसामसीह से लेकर भगवान बुद्ध तक के चित्र दीवारों में अंकित किए गए हैं।

गांव में रूढ़िवादी एवं दकियानूसी विचारधारा किसी को छू तक भी नहीं गई। प्रगतिशीलता के ज्वलंत उदाहरण यहां के करीब एक दर्जन गोबर गैस प्लान्ट हैं जिनमें से करीब-करीब सभी गैस बनाने के लिए शौचालय से जोड़ दिए गए हैं। खाना पकाने की गैस बनाने में मलमूत्र का प्रयोग गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले साल यहां एक और क्रान्तिकारी कदम उठाया गया और गांव में मृत्यु भोज बिल्कुल बन्द कर दिया गया। यद्यपि शुरू में आस-पास के गांव के लोगों ने इसका घोर विरोध किया और रूपाखेड़ा गांव के लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया परन्तु अन्त में सत्य की विजय हुई और इस सही कदम के आगे सबको झुकना पड़ा। आज वे सब लोग फिर रूपाखेड़ा के निवासियों के साथ हैं। गांव में छुआछूत का रोग भी नहीं है। गांव के बाहर हरिजन का एक कुआं है जिसका पानी अपेक्षाकृत काफी अच्छा है। प्रायः सभी लोग वहीं जाकर स्नान करते हैं और पानी भी पीते हैं।

जो भी इस गांव को देखते हैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते नहीं अघाता और करे भी क्यों नहीं? क्या इतनी सारी विशेषताएं किसी अन्य स्थान पर एक साथ देखने को मिलेगी? काश! हमारे सभी गांव ऐसे हो पाते।

50/25 साऊथ टी0 टी0 नगर
भोपाल (म0 प्र0)

जल संसाधन और प्रशासन (पृष्ट 21 का शेष)

यह योजना फलप्रद न होने लगे। डाक्टर राव का कहना है कि गंगा-कावेरी संयोजन योजना से प्रारंभिक स्तर पर दक्षिण बिहार और दक्षिण उत्तर प्रदेश के निरन्तर सूखे से ग्रस्त और त्रस्त रहनेवाले क्षेत्रों को सब समय सिचांई के लिए आवश्यक जल मिल सकेगा और अतिरिक्त जलराशि को विन्ध्य क्षेत्र से उठाकर दक्षिण की ओर ले जाने पर उसका उपयोग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अवर्षणवाले क्षेत्रों के लिए हो सकता है। अतिरिक्त जलसंसाधन बढ़ाने के लिए समुद्री जल का खारापन दूर करने की और कृत्रिम जलवर्षा की योजना से इसे डाक्टर राव ने अपेक्षाकृत अति लाभकर बताया है। डाक्टर राव ने कहा अमेरिका में कैलीफोर्निया और टेक्सास में इस तरह का जलसंजाल बनाकर लाभ उठाया जा रहा है और सोवियत रूस में भी इस तरह के फलदायी प्रयोग हुए हैं। भारत की आवश्यकता की दृष्टि से डाक्टर राव की इस योजना पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

जलसंसाधनों के उपयोग का एक अन्य पहलू अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से सम्बद्ध है। नदियां आदि ऐसे प्राकृतिक जलस्रोत है जो अपने उदगम स्थान से दूसरी बड़ी नदी या समुद्र आदि में मिलने तक की दूरी के बीच कई प्रदेशों में प्रवाहित होते हैं। अक्सर इन अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के जल संसाधनों के उपयोग के प्रश्न पर सम्बद्ध देशों में विवाद और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय जल-संसाधन के समुचित उपयोग के लिए दूसरे देश से आवश्यक विशेष तकनीकी जानकार प्राप्त कर जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। भारत ने अपनी सभ्यता के सुदीर्घ इतिहास में जलसंसाधनों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और आज से 2300 वर्ष पूर्व भी वर्षा के जल के प्रवाह की प्रक्रिया कि भारत ने विकसित की थी। आज की स्थिति में भी आवश्यकतानुसार नई तकनीकी जानकारी का विकास कर और अन्य विकसित देशों से आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त कर उसका अपने हित में प्रयोग करने में भारत को अग्रसर होना चाहिए।

निरंकार सिंह
सन्मार्ग दैनिक,
टाउनहाल, वाराणसी-1

कृषि पंडित श्री मगनभाई ठक्कर

केन्द्रीय कृषि विभाग द्वारा 1975-76 को रबी की अवधि में आयोजित गेहूं की अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के हरदुआ गांव के श्री मगनभाई ठक्कर ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। श्री ठक्कर ने प्रति हैक्टर 13 735.67 किलोग्राम गेहूं की उपज ली और उन्हें 'कृषि पंडित' की उपाधि के योग्य समझा गया। इसके अलावा उन्हें 3,000 रु० का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा।

द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः मध्य प्रदेश के सागर जिले के पिपरिया चौरा गांव के श्री विपिन बिहारी गुप्त और गुजरात में आनन्दपुर गांव के श्री ईश्वरभाई वाचारभाई पटेल को दिए गए। उन्होंने क्रमशः प्रति हैक्टर 12,078.30 किलोग्राम और 11.137.23 किलोग्राम की उपज ली। द्वितीय पुरस्कार नकद 1,200 रु० और तृतीय पुरस्कार नकद 800 रु० का है।

गर्भ-निरोधक विधि : प्राचीन और मध्यकाल

प्राचीनकाल में गर्भ-निरोध के लिए चन्दन की लकड़ी, सरसों और चीनी का बारीक चूर्ण, चावल का धोवन मिलाकर बराबर मात्रा में लेकर नुस्खे बनाए जाते थे। पीपल के पत्ते के चूर्ण को दूध के साथ खाने से औरत को गर्भ नहीं ठहरता है, ऐसा विश्वास किया जाता था।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय के भारतीय औषध प्रणाली के उप-सलाहकार वैद्य भगवानदास और श्री आर० एन० बसु द्वारा लिखित 'प्राचीन और मध्यकालीन भारत में बन्ध्यकरण की विधि' लेख में उस युग के बहुत ही कम प्रचलित उपर्युक्त गर्भनिरोधक की दो विधियों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। यह बात 1968 में प्रकाशित 'इण्डियन जनरल आफ दि हिस्ट्री आफ साइन्स' में लिखी है।

तत्कालीन समाज में प्रकाशित गर्भ-निरोध के प्रयोग का अनुमान इतिहास की प्राचीन वस्तुओं से सहज ही लग जाता है। उपनिषद् (1500 ईसा पूर्व) में इसका उल्लेख मिलता है।

यह महत्वपूर्ण बात है कि नियोजित परिवार के महत्व पर उस समय भी बल दिया जाता था, जबकि आबादी की अधिकता की कोई समस्या नहीं थी। शायद ऋग्वेद में वर्णित 'अधिक बच्चों का परिवार : कष्ट का द्वार' के कारण ही ऐसा होता था। एक चरित्रवान पुत्र को बहुत सारे चरित्रहीन पुत्रों से श्रेष्ठ समझा जाता था।

प्राचीन वर्णनों के अनुसार लड़कों के विवाह की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित 50 वर्षों के बाद दाम्पत्य जीवन समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

जन्म दर कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख विधियां अपनाई गई थी :—ब्रह्मचर्य का पालन, संयमित संभोग जिससे शक्ति का विकास, कांति, लम्बी आयु हो और रोग व क्षय निरोध की क्षमता बढ़े, (2) विवाह में विलम्ब (3) निश्चित दिनों में सहवास का निषेध। और (4) औषध ग्रन्थों में कुछ मौसम में सहवास की पाबंदिया दूध पिलाने की अवधि तक। बच्चों के लिए मां का दूध सर्वोत्तम भोजन कहा गया है। यदि मां बार-बार गर्भ धारण करे तो बच्चे मां के दूध से वंचित रह जाते हैं तथा यह गम्भीर बीमारी का कारण हो सकता है।

पुरुषों के वंध्यकरण के लिए जादुई युक्तियां जैसे मन्त्र, ईश्वर की प्रार्थना और वृक्ष पूजा की विधि अपनाई जाती थी।

गर्भ निरोध की अन्य विधियां इस प्रकार बताई गई हैं पुरानी मिश्री, दूध के साथ; 'कदम्ब' के फूल एक चौथाई शहद के साथ; 'जप' के लाल फूल (हिविस्कस); ये चीजें यदि बच्चे के जन्म के समय ली जाएं तो भविष्य में गर्भ नहीं रहेगा और यदि गर्भ ठहरा भी तो गर्भपात हो जाएगा।

दोनों ग्रन्थों में इसके परोक्ष प्रभाव का उल्लेख नहीं है। जो भी हो, परन्तु यह कहा गया है कि इस दवा के प्रयोग के लिए ईमानदार और विश्वासी चिकित्सक को अनुमति दी जानी चाहिए।

★

<u>बुन्देली-गीत</u>

गांव की रंगत ★ गजराज सिंह खरे 'निर्भीक'

शहर नहीं जो गांव रे, कैसो नौनों नाव रे
कुहू-कुहू कर रई कुइलिया, कौवा काव-कांव रे ।।

चूं-चूं-चूं-चूं चिहक चिरैया वृक्ष-वृक्ष पै बोल रही।
मीठी अमृत भरी बोली से मन के परदे खोल रही ।।
आम, नीम, जामौन, बभूरा, महुअन की है छांव रे ।।

भटा, तुरैया, सेंमे, कदुवा, पके टमाटर की लाली।
इमली, कैथ और विरियन की डाली लखकर फलवाली ।।
भोली-भाली मनवा कत है चलो गांव खों पांवरे ।।

गांव-गेंवड़े ताल-तलैया मीठे-मीठे पानी दे।
जिनमें उतरें चांद-तरैयां देखें ठाठ किसानी के ।।
हरे हार की हरियाली को चलो दिखाये ठाव रे ।।

मेरो मनवां मोह लियो है कोस, कचरिया, वालों ने।
जुनरी के जे जे भुट्टों ने धूर भरे लालों ने ।।
जिनके मुख 'गजराज' धाम से परे श्याम सम सांवरे ।।

ग्रा०पो०-कुसौली
दातया (म०प्र०

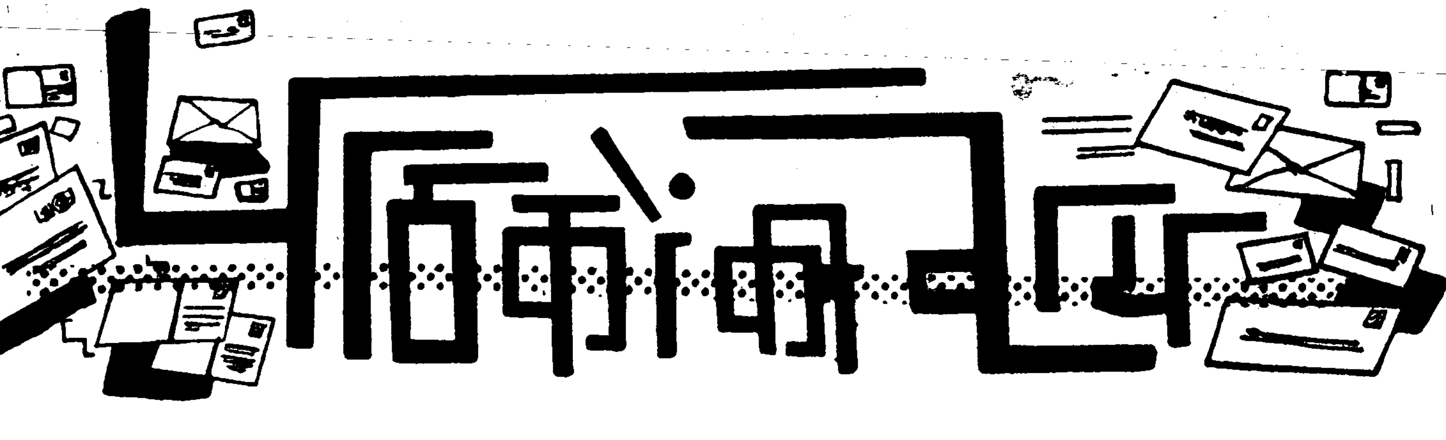

ऋण मुक्ति से आशा की लहर

ओमप्रकाश शर्मा

भारत ग्रामों का देश है । हमारे देश की 80 प्रतिशत से अधिक जनता ग्रामों में रहती है । इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भारत को दुनिया के नक्शे पर प्रथम कुछ देशों में स्थान दिलाना है तो इसके लिए सर्वप्रथम ग्रामों का विकास करना होगा । ग्रामीणों को ऋणों से मुक्ति दिलाकर उन्हें उन्नति के मार्ग पर लाना होगा, तभी देश को सही मायनों में विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा किया जा सकेगा । ग्रामीण ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा कराए गए 'अखिल भारतीय ऋण और विनियोग सर्वेक्षण' के इस निष्कर्ष से समझा जा सकता है कि जून 1971 में कुल ग्रामीण परिवारों के 43 प्रतिशत परिवार ऋण-ग्रस्त थे और उन पर 3,921 करोड़ रुपए का ऋण था । हमारे देश में विभिन्न राज्यों में तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक ऋणग्रस्तता तमिलनाडु में तथा सबसे कम ऋणग्रस्तता कश्मीर में है ।

1 जुलाई, 1975 को एक नया आर्थिक कार्यक्रम सामने आया, जिसके अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को ठोस और कारगर बनाने तथा आम जनता की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक बीस सूत्री कार्यक्रम था । इस बीस सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र ग्रामीणों की ऋण से मुक्ति भी है । इन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जिनके पास या तो बिल्कुल ही भूमि नहीं है या जो केवल एक एकड़ के सीरदार, भूमिहर, आसामी या पट्टेदार हैं, उन्हें एक कानून द्वारा अपने ऋण की अदायगी से मुक्त कर दिया गया । उ० प्र० ग्रामीण निर्बल वर्ग ऋणों की वसूली का स्थगन अधिनियम 1975 के अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, लघु तथा सीमान्त कृषकों और ग्रामीण दस्तकारों से एक वर्ष तक के लिए ऋणों की वसूली स्थगित कर दी गई ।

लेकिन इसके साथ एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है । ग्रामों में महाजनी प्रथा का अन्त कर दिए जाने के बाद ग्रामीण लोगों के लिए ऋण प्राप्ति में जो रिक्तता आएगी उसे कैसे भरा जाएगा । हमारी ग्रामीण जनता का एक बड़ा भाग ऐसा है जिसे गरीबी के कारण मजबूर होकर कृषि कार्यों के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महाजनों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है । इसका परिणाम उत्पादकता में कमी एवं निरन्तर ऋणग्रस्तता हमारे सम्मुख मौजूद हैं । किसान बराबर निर्धन होते जा रहे हैं, उनकी भूमि विखंडित होती जा रही है । वह भूमि के हक से अलग होता जा रहा है, ऋणों के भार ने कृषकों को दिवालियां, हीन, एवं भाग्यवादी बना दिया है । यह ऋणग्रस्तता आर्थिक विषमताओं एवं वर्ग संघर्षों को जन्म देती है । उत्पादकता को कम करके गरीबी बढ़ा रही है ।

नए आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता की ऋण-मुक्ति के लिए जो कदम उठाया गया है तथा जो कदम उठाया जा रहा है, वह वास्तव में स्वागत योग्य है । ऋण वसूली स्थगित करने के साथ ही इस वर्ग की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकों तथा सहकारी समितियों से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है । मध्यप्रदेश में देखा गया कि एक गांव के कर्जदार किसानों की सूची बनाकर सूदखोर को दी । जन आन्दोलन के भय से सूदखोर ने उन गरीब किसानों के गहने तथा बर्तन एक-एक करके लौटाने शुरू कर दिए । इस से अत्यन्त क्रान्तिकारी वातावरण तैयार हो रहा है । देश के सभी राज्यों में जन समितियों का निर्माण होना चाहिए । गांवों में जन समितियों को राज्य सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिए तथा जन समितियां स्वयं थोड़ा-थोड़ा चन्दा एकत्र करके कोष बनाएं और उस कोष से उन, जरूरतमन्द किसानों को धन ऋण के रूप में दें, जिन्हें कि बहुत आवश्यकता है । जन समिति को उन लोगों के ऊपर भी ध्यान देना होगा जो उत्पादन बढ़ाने के कामों के अतिरिक्त किन्हीं फिजूल खर्चे में तो इस धन का उपयोग नहीं कर रहे । हरिजनों को सहकारी ऋण समितियों का सदस्य बनाकर उनकी दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

ग्रामीणों को हर तरह से सहायता

पहुंचाने के उद्देश्य से गांधी जयन्ती ग्रामीण बैंक खोले गए हैं। इन बैंकों का आदर्श होना चाहिए—'बैंक जनता के लिए हैं, जनता बैंक के लिए नहीं।' इनका उद्देश्य छोटे किसानों, कृषि मजदूरों व ग्रामीण दस्तकारों को ऋण देना है, जिससे यह लोग महाजनों के पंजे से मुक्त हो सकें। इस प्रकार ग्रामीण बैंक की स्थापना की योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न की पूर्ति में एक कदम है।

निर्धनों को नि: शुल्क कानूनी सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश में 4.9 जिलों में वकीलों के पैनल बनाए जा चुके हैं। अन्य राज्यों को भी ऐसे ही पैनल बनाकर निर्धनों को कानूनी सहायता देने का प्रबन्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में, साहूकारी विनियमन अधिनियम' की धाराओं के अधीन अब प्रत्येक साहूकार के लिए जरूरी कर दिया गया है कि वह सहूकारियों के निबन्धक के यहां अपना पंजीकरण कराए बिना ऋण देने का धंधा नहीं चला सकता। अधिनियम के अनुसार ऋण पर साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर सरकार द्वारा तय की जाएगी। ऋण वसूली के लिए किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करना दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

ऐसा साहस का कदम उठाकर उत्तरप्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अन्य राज्यों को भी ऐसा कदम उठाने में विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन ग्रामीणों पर ऋण कुछ तो कम होगा ही, जिन्हें कि अधिकतर ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऋण पर ब्याज की दर को सरकार द्वारा निर्धारित करने से साहूकार अन्य माध्यमों से ब्याज की उच्च दर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा तथा इनके माध्यम बिचौलियों को भी दण्डित करने का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही जो साहूकार निर्धारित ब्याज की दर पर ऋण देने को तैयार न हों और अधिक दर मांगें तो उसके लिए पाए जाने वाले दोषी साहूकार के लिए वित्तीय अथवा अन्य किसी तरह के दण्ड का भी प्रावधान होना चाहिए। सरकार को ग्रामों में कृषि सहायक उद्योगों व लघु उद्योगों, डेरी उद्योगों आदि को विकसित करना चाहिए, जिससे कृषक तथा अन्य मजदूर अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकेंगे तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही यह ऋणग्रस्तता से दूर रह सकेंगे।

शोध छात्र
धर्मसमाज कालिज,
(आगरा विश्वविद्यालय)
अलीगढ़ (उ० प्र०)

★

सही दाम पे चीजें मिलतीं

सलीम अश्क

सुनते थे मुर्गे की बांगें मगर सुबह कब आई।
लो अब चिड़ियां चहक रहीं हैं सूरज पड़ा दिखाई॥
अब तक कुछ ऐसा था मौसम मेघों ने नभ घेरा।
हम तुम को मालूम नहीं था आया कहां सवेरा॥
आर्त्तनाद, चीत्कार सभी का हृदय छुआ करता है।
अन्यायी के नाश हेतु भी जन्म हुआ करता है॥
यही पुरातन रही मान्यता जो अवतार हुए हैं।
आपातकाल परिस्थिति के भी वह व्यवहार हुए हैं॥
अब हमने समझा है शायद शोषण बुरी बला है।
सबके जीने में जीना ही अपने लिए भला है॥
वर्ग भेद या जाति भेद की उलटी-सीधी बातें।
अब न चलेगा भारत भर में स्वार्थ सिद्धि की बातें॥
सागर पर नैया तिरती हैं सबको खेने वाली।
अब न परिश्रम डूब सकेगा बनकर के हड़ताली॥
कार्यालय के कार्यकाल में मटर गश्त के हामी।
सचमुच अब वह समझ गए हैं इसमें है बदनामी॥
जो व्यापार समझ बैठा था मात्र मिलावट धन्धा।
उनको सीख सिखाने आया अनुशासन का फन्दा॥
जिसने चाहा जगह हड़प ली चाहा टैक्स बचाया।
भूखे बाबू की जेबों को भरकर पिंड छुड़ाया॥
चढ़ा-चढ़ा आस्तीन नगर में दमखम को दिखलाना।
रेलों में धींगा मस्ती कर बिना टिकट घुस जाना॥
और उधर जो बोरे भर-भर घर में रहे छिपाए।
लम्बी सांसें वे लेते हैं कहां मौत आ जाए॥
सही दाम पे चीजें मिलतीं, नहीं डकैती चलती।
जो भी जैसा अपराधी है मान रहा है गलती॥
अब सब लोग यही कहते हैं, निश्चित उन्नति होगी।
कड़वी औषधि गले उतर कर स्वस्थ बनेगा रोगी॥

मोहल्ला गोलन्दाज
ग्वालियर-3

कुरुक्षेत्र के बारे में पाठकों के पत्र

'कुरुक्षेत्र' अपने ढंग के एक विशिष्ट और अपने आप में अद्वितीय पत्रिका है। यह पाठकों के सभी विषयों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः समर्थ है। समय-समय पर इसमें जो सामग्री प्रकाशित होती रहती है, वह रोचक होने के साथ-साथ अत्यन्त ज्ञानवर्धक भी होती है। और इन सब गुणों से बढ़कर इसकी विशेषता तो इसके मूल्य में निहित है। क्योंकि इतने कम पैसे में अन्य किसी पत्रिका में इतने ढेर सारी सामग्री देखने को नहीं मिलती। इसमें प्रकाशित सामग्री की जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम ही होगी। इसलिए तो मैं चाहकर भी इसमें दोष नहीं निकाल पा रहा हूं।

आज 'कुरुक्षेत्र' के पाठकों का दायरा दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है जिसका राज़ इसके रूप में निरंतर परिमार्जन एवं उत्कृष्ट उपयोगी रचनाओं का सम्पादन है। इसे अगर साप्ताहिक अथवा पाक्षिक कर दिया जाय तो हम पाठकों के लिए सोने में सुगन्धि होगी। इसकी प्रगति की कामना मैं हृदय से करता हूं।

—राधे मोहन प्रसाद, मालोगंज,
गया (बिहार)

'कुरुक्षेत्र' का नवम्बर अंक पढ़ा। पसन्द आया। इस अंक की विषय सामग्री पिछले अंकों की तुलना में अच्छे थे। विभिन्न ग्रामों की प्रगति के सचित्र लेख विशेष पसन्द आए। लेख 'अनुशासन वर्ष में सजता संवरता—सहारनपुर' प्रगति की झांकी दिखाता है। मैं भी ग्रामीण व्यक्ति हूं इसलिए ग्रामों की कठिनाइयों को जानता हूं। 'कुरुक्षेत्र' के द्वारा मुझे अनेक ग्रामीण विषयों पर जानकारी मिलती है, यह पत्रिका उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो गांव में रहकर प्रगति कर रहे हैं, अथवा करना चाहते हैं। आपकी प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

— हरिशंकर श्रीवास्तव
प्रधान डाकघर, डाक एवं तार विभाग,
शिवपुरी (म० प्र०

यहां एक नाट्य कला केन्द्र को एक ऐसे सशक्त रूपक की खोज थी जिनका वे ग्रामीण क्षेत्र में मंचन कर सकें। मैंने जब उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुरुक्षेत्र के कुछ अंक दिए तो वो बहुत प्रसन्न हुए। निश्चय ही उनकी प्रफुल्लता का कारण कुरुक्षेत्र में प्रकाशित होने वाले ग्रामीण आंचल के लिए प्रेरणादायी रूपकों से था। उन्हें अपना अभीष्ठ मिल गया था और वे उन अंको में से चयनित रूपक के प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए थे।

कहने का अभिप्राय यह है कि कुरुक्षेत्र में प्रकाशित सारी सामग्री ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी हैं, विशेषकर इसमें प्रकाशित रूपकों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जैसा कि पूर्व में मैं जिक्र कर चुका हूं ग्रामींण क्षेत्र में रहने वाली अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ है, अतः उन तक अपनी बात पहुंचाने का सुगम माध्यम हो सकता है प्रभावी रूपकों का प्रकाशन और उनका मंचन। मुझे प्रसन्नता है, इस दिशा में कुरुक्षेत्र लोकप्रियता अर्जित कर रहा है। वैसे मेरे भी कुछ रूपक कुरुक्षेत्र में छपे थे जो यहां प्रदर्शित भी किए गए। मेरा यही प्रयास रहता है कि इस कार्य में अधिक से अधिक सहयोग दूं।

वार्षिकांक में प्रकाशित चन्द्रदत्त इन्दु का रूपक 'सात पांच की लाकड़ी' अच्छा लगा। "धोरा री धरती में कलगंगा" भी सुन्दर रचना है। श्री रामस्वरूप जोशी और श्री इन्दु जी को मेरी ओर से बधाई दें।

मेरा एक सुझाव है कि आप कुरुक्षेत्र के जो आंचलिक विशेषांक प्रकाशित करते हैं उसमें उस आंचल विशेष की प्रेरणादायी लोक कथाएं, कहानी एवं रूपक जहां तक संभव हो, वहीं की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करें। इससे उस विशेषांक में उस क्षेत्र की एकदम झलक उभर कर सामने आएगी। हरियाणा विशेषांक भी पढ़ा था। उसमें हरियाणा की हरीभरी तस्वीर देशवासियों तक पहुंचाने का सुन्दर प्रयास किया गया है। डा० अनिल कुमार का लेख : लोक साहित्य में ग्रामीण हरियाणा की जीवन झांकी रुचिकर लगा।

कुरुक्षेत्र में भेंटवार्ताएं, रेखा चित्र, व्यंग्य आदि भी प्रकाशित करें तो अधिक रोचकता एवं विविधता आ सकती है। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनायें।

—मोहनसिंह भाटी
जैसलमेर (राजस्थान)

आज से करीब चार साल पूर्व की बात है। मुझे कुरुक्षेत्र की एक प्रति मिली थी क्योंकि मेरे भैया इसके बहुत पुराने ग्राहक एवं पाठक रहे हैं। उस समय वह प्रति देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। कारण, तब मेरा संबंध सिर्फ बाल पत्रिकाओं तक ही सीमित था। लेकिन तब मैं इसका एक अवैध पाठक समझा जाता था क्योंकि भैया जी जब भी मेरे हाथ में किसी अन्य पत्रिका को देखते तो कहते थे—पहले कोर्स की किताबें पढ़ो, बाद में जब बड़े

हो जाओगे तो इन पत्रिकाओं की ओर बढ़ना। बात यह कुछ हद तक सही होते हुए भी मैं कुरुक्षेत्र का प्रत्येक अंक पढ़ ही लेता था क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था हमारा पोस्ट आफिस भी वहीं था इसलिए प्रत्येक महीने पोस्टमैन कुरुक्षेत्र का अंक मेरे ही हाथ में देता था और मैं उसे पढ़े बिना भैया को नहीं देता था।

वास्तव में उस समय के कुरुक्षेत्र की आज के कुरुक्षेत्र से जब तुलना करता हूं तो पाता हूं कि इसमें कितना निखार आया है। अब यह समसामयिक गतिविधियों, विशेषकर ग्रामीण समस्याओं का साफ सुन्दर, सरल एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत है करता जो ज्ञानवर्द्धक होने के साथ-साथ काफी रुचिकर भी होता है इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे भारत मां स्वयं आकर हमें ग्रामीण समस्याओं तथा उसका समुचित समाधान के लिए सोये से जगा रही है।

मेरी समझ से कुरुक्षेत्र में कुछ सभ्य चुटकुले, हास्य व्यंग, मत-सम्मत स्तम्भ के साथ-साथ एक 'बाल-जगत' के नाम से भी स्थायी स्तंभ शुरू करें तो इसकी उपयोगिता एवं रोचकता में काफी वृद्धि होगी। इसकी भावी प्रगति के लिए हमारी शुभकामनायें स्वीकार करें।

विद्याभूषण शर्मा
ग्राम अब्बूपुर
पो० — शोरमपुर
जि० — पटना

यद्यपि "कुरुक्षेत्र,' से हमारा परिचय बिल्कुल नया है फिर भी इस छोटी सी अवधि में ही इसने हमारे मन को इस कदर छू लिया है मानों हमारा इसका संबंध वर्षों का है। और अब तो हर माह बड़ी बेसब्री से इसके अगले अंक की बाट जोहती रहती हूं और जब तक यह मिल नहीं जाती तब तक इसके इंतजार की दुनिया में खोई रहती हूं।

वास्तव में हमारे देश में प्रकाशित होने वाली समस्त पत्रिकाओं में से यदि मौलिक ग्रामीय पत्रिका का चयन किया जाए तो "कुरुक्षेत्र" का स्थान सबसे ऊंचा रहेगा क्योंकि भारत तो मूलतः गांवों का देश रहा है जिनकी समस्याओं का विशद् विश्लेषण एवं उसका निष्पक्ष निराकरण यदि कोई पत्रिका कर रही है तो वह मात्र "कुरुक्षेत्र" ही।

इसके नवम्बर माह 1976 का अंक काफी सराहनीय रहा। इस अंक में प्रकाशित अन्य लेखों के अलावा श्रीराम शर्मा की कहानी "कुएं की आवाज" तथा श्री ब्रजलाल उनियाल का रूपक "सुबह का भूला" काफी प्रशंसनीय रहा। इसके लिए श्रीराम शर्मा और ब्रजलाल उनियाल को बहुत बहुत बधाई।

अच्छा हो यदि संपादक महोदय "कुरुक्षेत्र" के अगले अंक से एक स्थायी स्तंभ महिला जगत के नाम से शुरू करें, जिसमें स्त्री जाति की ज्वलंत समस्याओं का कारण एवं निवारण प्रस्तुत किया जाए। इससे नारी जाति का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है और वे अपनी सर्वांगीण विकास की सीढ़ियों पर काफी तेजी से चढ़ सकती हैं। हमारी तरफ से कुरुक्षेत्र के लेखकों एवं पाठकों को शुभकामनायें।

मनोरमा शर्मा,
ग्राम — चिरौरा
पोस्ट — चिरौरा
जिला — पटना (बिहार)

आज जब अध्ययन कक्ष में 'कुरुक्षेत्र' के नवम्बर अंक से साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला तो ग्राम्य जीवन के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रतीक प्रथम निबन्ध 'ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे' पढ़कर एक आत्मिक संतुष्टि और आनन्द मिला। हमारी प्रधानमंत्री जी के प्रस्तुत विचार न केवल ग्रामोत्थान की उत्कृष्ट झांकी प्रस्तुत करते हैं अपितु समसामयिक परिस्थिति में ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं के अनुसार संवारने का एक आदर्श रखते हैं। मैं ग्रामीण समाजशास्त्र का छात्र हूं और इसी विषय में मेरा शोधकार्य भी चल रहा है। कुरुक्षेत्र मुझे मेरे अध्ययन में जो सही आंकड़े और उचित मार्गदर्शन देता है वह वस्तुतः स्तुत्य है। नवम्बर अंक में 'छात्र कल्याण कार्यक्रम' 'गांवों का कायाकल्प सामाजिक न्याय की ओर' विशेष आकर्षण रहे हैं। साथ ही स्थान-स्थान पर समकालीन परिस्थितियों से संबंधित शीर्षस्थ नेताओं के 'नीतिवाक्य' बरबस ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त मनोरंजन की दृष्टि से 'महुआ की मस्जिद्' और 'सुबह का भूला' रूपक पाठकों के साहित्यिक मनोरंजन के सशक्त उदाहरण हैं। साथ ही प्रसन्नता इस बात की है कि श्री राम शर्मा जैसे विद्वान मनुष्यों के उत्तम विचार एक कहानी 'कुएं की आवाज' में पढ़ने को मिले। पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी श्री अक्षय कुमार जैन के विद्वतापूर्ण विचार भी पढ़ने को मिल रहे हैं। उच्च कोटि की काव्य रचनाएं 'जरा सोचो तो' प्रकृति चित्रण का आदर्श है। विशेषतः प्रत्येक अंक के सम्पादकीय विचार मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन की आंतरिक गहराई इन विचारों में निहित होती है। मेरा निजी अनुरोध है कि इस पत्रिका में 'श्वेत क्रांति' से संबंधित साहित्य प्रकाशित कर इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया जाए।

समग्र रूप से इतने कम धन में उच्च कोटि का साहित्य मनोरंजन एवम् ग्रामोत्थान की सुन्दर त्रिवेणी के संगम के रूप में 'कुरुक्षेत्र' कृषि मंत्रालय की सफल उपलब्धि है।

प्रफुल्ल चन्द्र तायल
तुलसी नगर (गूलर-नाका)
बांदा-210001 (उ० प्र०)

राज्यों के समाचार

उत्तर प्रदेश

आपात स्थिति की घोषणा के बाद से उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 19 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आयी है।

खाद्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां संवाददाताओं से बताया कि प्रदेश में आपात स्थिति के पूर्व औसत मूल्य सूचकांक 379.9 था जो इस समय घट कर 304.9 रह गया है।

सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में प्रवक्ता ने कहा कि यह तेजी अस्थायी है तथा नयी फसल के आने के बाद ही मूल्यों में गिरावट शुरू हो जाएगी। उरद एंव अरहर की दाल में भी कुछ तेजी का रूख आया है।

खाद्यान्न के मूल्यों के संबंध में प्रवक्ता ने बताया कि गेंहू चावल, चीनी, खांडसारी, गुड़ व मूंगफली के तेल के मूल्यों में नरमी आयी है, इसके साथ ही डबल रोटी के मूल्य में कमी हुई है।

प्रवक्ता ने बताया कि बाजार में गेहूं के प्रति कुंतल औसत भाव 103 रूपया है जब कि पिछले वर्ष इसी समय यह 106.77 रूपय था। किसानों के लाभांश मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित 12 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में अब तक 17,10,263 टन गेंहू खरीदा जा चुका है।

नवम्बर 1976 में प्रस्तुत मूल्यों की तुलना में प्रति कुंतल दानेदार चीनी का औसत थोक भाव 491.14 रूपये से घटकर 489.90 रूपये, खांडसारी का 373.67 से घटकर 366.33 रुपया, गुड़ का 168.72 से घटकर 159.8 और मूंगफली व तेल का भाव 673.50 से घटकर 667.80 रूपये हो गया है। 16.5 किलो बनस्पति टिन का भाव 147.12 से घटकर 146.62 रूपये हो गया।

प्रदेश में जमाखोरी, तस्करी तथा चोर बाजारी रोकने के सिलसिले में नवम्बर मास के अंतिम पखबारे में 378 छापे मारे गये तथा 75 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 68,928 रूपये की कीमत की सामग्री जब्त की गयी

कश्मीर

भूमि सुधार

राज्य विधान सभा ने इस वर्ष अगस्त मास में जो भूमि सुधार विधेयक पारित किया था उसको अगले वर्ष 26 जनवरी से लागू किया जाएगा। इन भूमि सुधारों को उचित ढंग से लागू करने हेतु आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए एक नए संगठन की स्थापना की जाएगी। भूमि व्यवस्था आयुक्त इस नए संगठन के प्रमुख होंगे। प्रारम्भ में भूमि सुधार का कार्य कश्मीर और जम्मू शाखा के 2 जिलों में शुरू किया जाएगा।

दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के वितरण का भी कार्य व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। बारामूला जिले में हण्डवारा तहसील के काण्डी क्षेत्र में 5,500 और लोगों को राशन की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में राशन की सुविधा प्रदान करने वालों की संख्या 6,7,250 हो जाएगी। इस तहसील में 33 उचित दर की देकानें खोली गई हैं। हंडबारा तहसील में 3,500 व्यक्तियों और लंगाटे कस्बे में 1,500 व्यक्तियों को राशन दिया जा रहा है और लगभग एक लाख व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऋण योजना

अनंतनाग जिलें में किसानों को अधिक पैदाबार देने वाले किस्म के गेहू और अन्य फसलों के बीज बांटे गए हैं। अनाज भंडार पात्र के अलावा किसानों को 80 हजार रूपए उपलब्ध कराए गए हैं जिसके लिए लघु कृषक विकास अभिकरण ने 25,500 रूपए सहायता राशि के रूप में दिए हैं। 1974-75 के दौरान 72,000, एकड़ भूमि फलोद्यान के लिए प्रयोए की गई जो कि पिछले दस सालों की कीर्तिमान है। बारामूला जिले में 8 करोड़ रूपए की लागत से एक ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 7 करोड़ 82 लाख रूपए विभिन्न बैंकों द्वारा मार्च 1979 तक प्रदान किए जाएंगे।

रोजगार योजना

बारामूला जिले में अब तक स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत 243 इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है। इन इकाईयों की विभिन्न बैंकों द्वारा 21 लाख रूपए कर्ज के रूप में दिए गए हैं।

92 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा सीमेंट कारखाना दिसम्बर 1978 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे लगभग 900 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

आवास कार्यक्रम

उरी तहसील में 62 लाख रुपए की लागत से कार्यालयों एवं मकान के लिए एक काम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। 35 लाख रुपए की लागत से सड़क एवं जल प्रदाय परियोजना भी प्रगति के पथ पर है।

दिल्ली

मत्स्यपालन

दिल्ली प्रशासन ने राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है जिस पर पांचवी योजना की समाप्ति तक लगभग 30.70 लाख रुपये खर्च होंगे। प्रशासन का ख्याल है कि इस योजना पर अमल के बाद दिल्ली में मछलियों का उत्पादन प्रति वर्ष 6 लाख किलोग्राम हो जाएगा। अभी दिल्ली में प्रति वर्ष 4 लाख किलोग्राम मछली पकड़ी जाती है।

कार्यकारी पार्षद, श्री हीरासिंह ने आज बताया कि मछलियों की पैदावार बढ़ाने के लिए शाहदरा, सराय पीपलथला और बजीराबाद के पास यमुना के किनारे बहतर किस्म की मछलियों के बीज फार्म में विकसित किए जाएंगे। शाहदरा में 26 एकड़ में, सराय पीपलथला में 22 एकड़ में और वजीराबाद में 4 किलोमीटर लम्बी और चौथाई किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मछलियों के बीज तैयार किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि वजीराबाद में यमुना पार मछली बीज फार्म के साथ साथ पर्यटक केन्द्र भी विकसित किया जाएगा।

चौ० हरीसिंह ने बताया कि पांचवी योजना की समाप्ति तक दिल्ली में मछलियों का उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि हम दिल्ली की कुल मांग का चौथाई भाग पूरा कर सकेंगे।

दिल्ली में यमुना के अलावा लगभग 400 तालाबों और झीलों में मछलियां पैदा होती हैं। लगभग 750 मछुए परिवार अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह मछली पालन पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त 20 हजार व्यक्तियों के लिए यह अतिरिक्त आय का स्रोत है।

यमुना में मछलियों का शिकार करने वालों से लाइसंस के शुल्क के रूप में दिल्ली प्रशासन को ढाई लाख रुपए की आय होती है। लेकिन तालाब व झीलों में मछलियां पकड़ने के लिए मछुओं क प्रशासन कोई शुल्क नहीं लेता।

मध्य प्रदेश

आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं

मंडला जिले के छात्रावासों में रहने वाले 1,077 आदिवासी और 36 हरिजन छात्रों को 5·95 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां पिछले चार माह में वितरित की गईं और 2,607 आदिवासी तथा 1,075 हरिजन छात्रों को 3.78 लाख रुपये की राज्य छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई गईं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयीन छात्रों को 10,000 रुपये की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी गईं। बुक बैंक योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1.77 लाख रुपये मूल्यों की पुस्तकें छात्रों में वितरित की गईं।

सतना जिले में इस वर्ष नवम्बर तक 48 हरिजन और 8 आदिवासी महाविद्यालयीन छात्रों को 36,500 रुपये की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

सरगुंजा जिले की चार आदिवासी विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी किसानों को सद्वहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के रूप में बांटने हेतु 17 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार किसानों को कृषि ऋण देने के लिए 20 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

ऋण मुक्ति

राजगढ़ जिले के गांव में हाल ही में 27 बड़े किसानों और साहूकारों ने 27 गरीब ग्रामीणों को स्वेच्छा से 66 बीघा कृषि भूमि वापस लौटाई।

बस्तर जिले के बस्तर गांव में 53 आदिवासियों, 20 हरिजनों और 40 विमुक्त जाति के सदस्यों सहित कुल 113 कर्जदारों को 18,700 रुपये के ऋण से साहूकारों द्वारा स्वेच्छा से मुक्त किया गया और उनकी 1,36 लाख रुपये की संपत्ति उन्हें वापिस की गई।

प्रधानमंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक आदिवासी जिले झाबुआ में छह हजार दो सौ अस्सी से अधिक आदिवासियों और गरीब वर्ग के अन्य लोगों को 57 लाख 40 हजार 464 रुपयों के ऋणों से मुक्त कराया जा चुका है।

एक अधिकारिक सूचना में बताया गया है कि 6280 से अधिक आदिवासियों, हरिजनों व कमजोर वर्ग के लोगों ने झाबुआ जिले के पुलिस थानों पर नए आवेदन पत्र देकर 635 साहूकारों के 65 लाख 42 हजार रुपये को ऋण से मुक्त कराने की मांग की है।

राजस्थान

हाथ करघा के लिए नई योजना

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वपन को साकार करने के लिए राजस्थान ने हाथ करघा की एक नवीन योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करना तथा बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है।

3.68 करोड़ रुपये को एक सघन विकास योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत 10,000 नए हाथ-करघा लगाए जाएंगे, जिनसे योजना के पूर्ण होने पर प्रति वर्ष 4 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन किया जा सकेगा। इससे लगभग 40,000 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें से 1,000 करघे निर्यात योग्य कपड़ा बनाने के लिए काम में आएंगे।

सघन विकास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष जयपुर, अजमेर तथा जोधपुर जिलों में 3,000 हाथ करघे लगाए जाएंगे। अन्य 3,000 अगले वर्ष लगाए जाएंगे, जबकि 1978-79 में 2,000 तथा 1979-80 में 1,000 हाथ करघे लगाए जाएंगे।

2 हजार दहेज विरोधी शपथ पत्र

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय गंगानगर के छात्र-छात्राओं को दहेज विरोधी शपथ पत्र भेजे जा रहे हैं तथा अन्य लोगों को भी इस सामाजिक बुराई के निवारण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिसम्बर माह के अन्त तक 2,000 शपथ पत्र भरवाने का लक्ष्य है।

श्रमदान के अन्तर्गत महाविद्यालय में एक मैदान को समतल किया जा रहा है तथा अल्प बचत के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को अल्प बचत खाते खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

समाज सेवा के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए विद्यार्थियों का 14 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया है।

आदिवासी क्षेत्र में

बांसवाड़ा जिले के बागीडोरा कस्बे में कल एक वृहद नेत्र एवं स्त्री रोग शल्य चिकित्सा शिविर का उद्घाटन वयोवृद्ध समाज सेवी एवं विद्वान पंडित पन्ना लाल जी जोशी ने दीपज्योति प्रज्वलित करके किया।

गिरी बनवासी प्रगति मंडल बम्बई द्वारा आयोजित इस शिविर के उद्घाटन की रस्म अदा होते ही 6 नेत्र रोगियों का आपरेशन किया गया।

शिविर के नियमों के अनुसार आपरेशन से पूर्व रोगियों एवं उनके परिवार के सदस्यों से धूम्रपान एवं मद्यपान त्यागने की प्रतिज्ञा कराई जाती है।

शिविर के पहले दिन प्रातः 192 नेत्र रोगियों को भर्ती किया गया तथा लगभग एक सौ की भर्ती का कार्य जारी था। इसी दिन लगभग एक सौ रोगियों के दांतो की शल्य चिकित्सा की गई।

शिवर में कुल मिलाकर 5000 मोतियाबिन्द व नेत्र रोगियों, चार हजार दांतों के बीमारों तथा बड़ी संख्या में स्त्री रोगों के मरीजों के आपरेशन किए गए।

भूमिहीनों को भूमि

प्रधानमंत्री जी के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्य-क्रम के अंतर्गत जनपद के व्यावसायिक बैंकों से लोगों को अधिकाधिक सहायता करने के लिए कहा गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के सिंडीकेट बैंक, स्टेट बैंक एवं यूनियन बैंक की शाखाओं द्वारा जनपद के क्रमशः 200, 29 तथा 75 जूता बनाने वाले कारीगरों को 2,50,000, 29,500 तथा 59138 रुपये की धनराशि जूता उद्योग विकास के लिए दिलायी गयी।

इस प्रकार जनपद के 38 बुनकरों तथा रिक्शाचालकों को सिंडीकेट बैंक द्वारा क्रमशः 58,472 रुपये तथा 3575 रुपये अपने व्यवसाय के प्रसार के लिए दिलाया गया है। जिले के 435 हरिजनों को भी इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा 4,35,000 रुपये की धनराशि मकान बनाने, सुअर व मुर्गीपालन एवं अन्य व्यवसायों के लिए दिया गया है।

जनपद की 14,78,250 एकड़ कृषि योग्य भूमि, जो फालतू थी, जिले के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बांटी जा चुकी है जिस पर कब्जा हो चुका है तथा रबी की फसल बो दी गयी है।

जिले के 29,161 भूमिहीन कमजोर वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए भूमि खण्डों का वितरण किया जा चुका है, जिसमें 3,332 लोगों ने अपने मकान भी बना लिये हैं।

सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए जनपद के 90 नलकूपों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनसे रबी की फ़सल की सिंचाई की जा रही है। इसी अवधि में 92 किसानों ने सिंचाई के लिए पम्पिंग सेट भी लगाये है तथा 186 निजी नलकूपों का निर्माण कराया है, जिसमें 4477 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

आवश्यक वस्तु मूल्य निर्धारण अधिनियम के अंतर्गत जनपद में 212 छापे मारे गये। 1526 मामले दर्ज किए गए। 190 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा 65,765 रूपये की धनराशि, अर्थदण्ड के रुप में वसूल की गयी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अनिमियतता पायी जाने के आरोप में जनपद की 16 सस्ते गल्ले की दुकानों को निलंबित किया गया है। 32 दुकान निरस्त की गयीं तथा 30,098 फर्जी यूनिट रद्द किए गये। सस्ते गल्ले की दुकानों की समय-समय पर जांच करने के लिए जिला, तहसील और ब्लाक स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है।

जनपद में परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है। किसी भी प्रकार की गलत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाने की चेतावनी दी गयी है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक मथुरा जयपद में कुल 7,000 (सात हजार) आपरेशन हो चुके हैं, जिनमें 1259 महिलाओं तथा 56.18 पुरुषों के आपरेशन हो चुके हैं।

केन्द्र के समाचार

बाल दिवस योजना

समन्वित बाल विकास योजना के लागू किए जाने से देश के विभिन्न भागों के 33 खंडों की 26 लाख 50 हजार स्त्रियों और बच्चों को लाभ पहुंचा है। यह योजना प्रयोगात्मक आधार पर 1974 में शुरू की गई थी।

इस योजना से लाभान्वित होने वाली 26.5 लाख जनसंख्या में से 4.51 लाख छः साल तक के कमजोर बच्चे और 4.60 लाख 15-44 वर्ष की स्त्रियां हैं।

इन 33 खंडों में से 23 शहरी और ग्रामीण तथा 10 जनजाति क्षेत्रों में हैं। ये खंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात उड़ीसा, जम्मू-काश्मीर, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में फैले हुए हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्र नीति के प्रस्ताव के बाद शुरू की गई थी। इस योजना को राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत सहायता से लागू किया था।

ग्रामीण प्रदर्शन घरों का निर्माण

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने प्रधानमन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, अपने क्षेत्रीय ग्रामीण आवास खंडों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के चुने हुए ग्रामों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए पर्यावरण संबंधी सुधारों से युक्त प्रदर्शन घरों के निर्माण आरम्भ करने की एक योजना शुरू की है। इस योजना में स्थानीय रूप से उपलब्ध अच्छे किस्म का सामान, डिजाइन और मजदूरों द्वारा स्वयं अपने मकान बनाने का काम करने कम लागत के प्रदर्शन का बनाने पर बल दिया गया है।

वल्लभ विद्यासागर (गुजरात) के ग्रामीण आवास खंड में गुजरात के 'भिकोरा' गांव में पर्यावरण संबंधी सुधारों से युक्त 10 प्रदर्शन घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इस प्रदर्शन परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा 55,000 रूपए का अनुदान दिया गया, इसमें पर्यावरण सम्बंधी सुधारों के लिए दिए गए 25,000 रुपए भी शामिल हैं।

यह परियोजना सभी प्रकार से परी कर ली गई है तथा इन स्थानीय जनता को रहने के लिए किराए पर दे दिया गया है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के ग्रामीण आवास खंडों द्वारा गांव पोवला (प० बंगाल), हीन्नहिल्ली (कर्नाटक), बीकानेर (दिल्ली के पास), और मनीमाजरा (चण्डीगढ़ के पास) में 10 से 20 तक के समूहों में प्रदर्शन घरों का निर्माण किया गया है।

सूखा उन्मुख क्षेत्रों के कार्यक्रम इस क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के क्षेत्र का 19 प्रतिशत और जनसंख्या का 12 प्रतिशत आता है। पांचवीं योजना में इन योजनाओं के लिए कुल 340 करोड़ रू० की पूंजी निर्धारित की गई है और दूसरे संस्थानों से प्राप्त धन को मिलाकर यह पूंजी 500 करोड़ रु० हो जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रामनाथपुरम और धर्मपुरी (तमिलनाडु), अनंतपुर, कुरनूल, चित्तूर, महबूबनगर और कुडप्पा (आंध्रप्रदेश) बीजापुर, कोलार, चित्राडुग, धारवाड़, बेलगांव, और गुलबर्ग (कर्नाटक) जिले आते हैं। इन जिलों में सूखी भूमि में खेती, लघु सिंचाई, पशुधन विकास, चरागाहों का विकास, मछलीपालन आदि पर कार्य हो रहा है।

परिवार नियोजन की नई योजना

परिवार नियोजन को जन आन्दोलन बनाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्री डा० कर्ण सिंह ने आज यहां सामूहिक प्रोत्साहनों की एक नई योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर अमल करने की दृष्टि से पंचायत व जिलों को सामूहिक पुरस्कारों के रूप में प्रतिवर्ष 40 लाख रूपए दिए जाएंगे।

परिवार नियोजन और सम्पर्क की समस्याएं विषय पर प्रेस एशिया इन्टरनेशनल और अखिल भारतीय तिब्बी सम्मेलन द्वारा आयोजित विचारगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए डा० कर्ण सिंह ने बताया कि नई योजना के अन्तर्गत देश के सभी 360 जिलों में परिवार नियोजन योग्य दम्पतियों में परिवार नियोजन के तरीकों का प्रयोग करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाली गांव पंचायतों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जएगा।

साहित्य समीक्षा

उन्नत खेती कैसे ? : लेखक सम्पादक डा० हरिहर प्रसाद गुप्त, आनन्द प्रकाश गुप्त, प्रकाशक : सत्य-प्रकाशन, 147, त्रिवेणी रोड, बाई का बाग, इलाहाबाद-3, पृष्ठ संख्या 64, मूल्य : 3-00 रुपये।

भारत ने कृषि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में असाधारण सफलता प्राप्त की है। इसको 'हरित क्रान्ति' की संज्ञा दी गई है। प्रस्तुत पुस्तक का कृषि-विकास के सम्बन्ध में लिखी गई पुस्तकों में अपना स्थान है। पुस्तक के उपशीर्षक 'हमारी खेती का इतिहास' और 'आधुनिक हरित क्रान्ति' से पाठक को ज्ञान हो जाता है कि पुस्तक में क्या है। पैदावार बढ़ाने के लिए यह पुस्तक अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में तीन अध्याय आते हैं। पहले अध्याय में भारतीय खेती का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण आदि ग्रंथों की पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। दूसरे और तीसरे अध्याय में क्रमशः रबी के बीज की विशेषताएं और सब्जियों के बोने का समय बताया गया है।

पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग तीसरे अध्याय के बाद आरम्भ होता है जिसमें सम्पूर्ण फसलों को रबी, खरीफ और सब्जी नाम दिया गया है। खरीफ की विभिन्न फसलों जैसे अरहर, आलू, उड़द के बारे में बताया गया है कि भूमि का चुनाव किस प्रकार किया जाए। भूमि के चुनाव के बाद भूमि की तैयारी, खाद, बोने की विधि, सिंचाई, बीमारियों की रोकथाम के बारे में बताया गया है। खरीफ के समान ही रबी की फसलें और सब्जी के बारे में बताया गया है। यह सब बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है जो कि हर किसान को लाभ पहुंचा सकता है। सरल होने के साथ-साथ वैज्ञानिकता इसका महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रयोग के आधार पर ही यहां सब कुछ बताया गया है। क्रमानुसार होने के कारण इसको आसानी से समझा जा सकता है। उपज बढ़ाने के लिए यह पुस्तक अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पुस्तक की साज सज्जा सुन्दर है।

नविन्दर भाटिया,
क्यू-5, राजोरीगार्डन,
नई दिल्ली-110027

बौने गेहूं की खेती : लेखक : डा० अम्बिका सिंह और डा० महाबलराम, प्रकाशक : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 144, मूल्य : 11 रुपये।

इस बात को लेकर अब कोई विवाद नहीं पाया जाता कि जब तक कृषि की नवीनतम जानकारी व तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक कृषि उत्पादों की तीव्रता से बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा। यही कारण है कि आज विश्व में रासायनिक उर्वरक, अधिक उपज देने वाले बीज, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है।

विभिन्न खाद्यान्नों में गेहूं का स्थान बहुत ऊंचा है। विश्व के अधिकांश भागों में किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ इसकी मांग में तीव्रता से वृद्धि हुई है। यही स्थिति भारत की भी है। विश्व भर के वैज्ञानिक इस स्थिति से निपटने के लिए कई वर्षों से प्रयत्नशील हैं और उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। भारत में भी इस दिशा में सघन प्रयास 1965 में प्रारम्भ किए गए। तब से लेकर गेहूं की कई आधुनिक किस्मों का पता लगाया गया और देश में हरित क्रान्ति की स्थिति प्राप्त की गई है।

आलोच्य पुस्तक गेहूं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसकी कई किस्मों पर विस्तार से प्रकाश डालती है। पुस्तक पूरी तरह व्यावहारिक दृष्टिकोण में लिखी गई है। विभिन्न अध्यायों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किसानों को गेहूं के उत्पादन में आधुनिक तकनीकें अपनाते समय क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी विभिन्न गतिविधियों का संचालन किस प्रकार करना चाहिए कि उन्हें अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हो सके।

सम्पूर्ण पुस्तक में नवीनतम सांख्यिकीय सूचनाओं का पूरा-पूरा प्रयोग किया गया है। जहां-जहां आवश्यक है वहां इन सूचनाओं का रेखीय व चित्रीय प्रदर्शन भी किया गया है जो पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि कर देते हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तक में अनेक छायाचित्र भी हैं जो पुस्तक की रोचकता में वृद्धि करते हैं।

पुस्तक का मूल्य बहुत अधिक है। चूंकि पुस्तक सामान्य किसान के लिए उपयोगिता रखती है अतः इसका मूल्य कम से कम आधा कर दिया जाना चाहिए।

प्रदीप कुमार मेहता
बी-11/113, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

'भरत' खण्ड-काव्य : लेखक राजेन्द्र शर्मा, प्रकाशक : नया साहित्य, कश्मीरी गेट, दिल्ली, मूल्य : 4·50 पैसे।

युग, भौतिक उन्नति की ओर तेजी से दौड़ रहा है, यह भौतिक उपलब्धियां और सफलताएं मानव को किस मोड़ पर ले जाकर छोड़ेंगी-अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि भौतिकवाद की इस आंधी में मानव के नैतिक और भावनात्मक मूल्य उड़ने लगे हैं—जो मानव की सच्ची पूंजी है, यदि इस आंधी का रुख न पलटा तो हो सकता है कि मनुष्य अपनी असली पूंजी खोकर दिवालिया हो जाए और उसके हाथ में मात्र—बिजली, अणु और राकेट ही रह जाएं।

संसार का चिन्तनशील वर्ग इस प्रयत्न में लगा है कि भावनात्मक और नैतिक मूल्यों की रक्षा हो, इस दृष्टि से प्रस्तुत खण्ड काव्य नैतिक मूल्यों और कर्तव्य निष्टा को एक उठान देता है।

रामायण में भरत का चरित्र निश्चित रूप से राम से ऊंचा है। मर्यादा पुरुष के रूप में राम एक सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति हो ही सकते हैं। लेकिन एक सामान्य जन के रूप में भरत जिन गुणों से युक्त है—वहां उनको विशिष्ट उदात्त और कर्तव्य परक बनाते हैं। भाषा और शैली में न कहीं जटिलता है न उलझाव—जो निश्चय ही कवि की सुलझी और परिमार्जित कलम का सबूत है।

शर्मा जी सभी सम्भावित परिस्थितियों घटनाओं और पात्रों को छूते हुए चले है, लेकिन उनके केन्द्र भरत ही रहे हैं। भरत माता कैकेयी को भी मात्र उन्होंने स्पर्श किया है, यदि शर्मा जी कैकेयी की प्रतिक्रिया को भी कुछ उभारते तो रचना और भी जानदार हो सकती थी—जैसे कि गुप्त जी ने साकेत में किया है :—

युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी
थी रघुकुल में भी एक अभागी रानी।

लेकिन इस प्रतिक्रिया के न होते हुए भी इस खण्ड काव्य में अपूर्णता नहीं है।

जल के अभाव में सूखती किसी लता के समान 'भरत' भावनात्मक और नैतिक मूल्यों की लता को सींचेगा, ऐसी मुझे आशा है।

काव्य समाप्ति की दो पंक्तियां :—

'भरत जैसा भ्रात होगा नहीं
शेष पर जब तक टिकी है यह मही'

वस्तुतः हृदयग्राही और जबान पर चढ़ जाने वाली है।

डा० लक्ष्मीनारायण शर्मा
स्वास्थ्य विहार, सिलमपुर (ग्रोल्ड)
दिल्ली-110031

वैदिक गीता : भाष्यकार : स्व० श्री पं० आर्यमनी जी; प्रकाशक : पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष : दयानन्द संस्थान, 1957 हरध्यान सिंह रोड, नई दिल्ली-110005 मूल्य : 15 रु० पृष्ठ : 408

गीता पर "वैदिक गीता" छापा जाना आपत्तिजनक है, गीता न तो वैदिक विशेष और न पौराणिक विशेषण की अपेक्षा रखता है। गीता तो गीता ही है, हां उस का भाष्य अवश्य ही वैदिक वाङ्मय से प्रेरित हो सकता है। एक बात, यह अवश्य ही बनाई जानी चाहिए थी कि इन भाष्यों की भीड़ में एक भाष्य को और खड़ा कर भीड़ को क्यों बढ़ाया जा रहा है। संसार में इतने भाष्य तो शायद ही किसी पुस्तक के छपे हैं। क्या यह भाष्य भूतपूर्व है और यदि है तो बताना चाहिए था कि यों तो गीता की हजारों बनियां हैं पर वे बेमेल है और हम दे रहे हैं एक सही चाबी ?

अस्तु: इन सब बातों के बावजूद यह कहना न होगा कि भाष्य में जगह-जगह सभी श्लोकों का अर्थ केवल वैदिक (आर्य समाजी) दृष्टिकोण से लिया गया प्रतीत होता है जैसे द्वितीय अध्याय के 16 वें, 21 वें, 28 वें श्लोकों में स्वामी शंकराचार्य के भाष्य को चुनौती दी है। पर यह चुनौती ठोस तर्कों पर आधारित हैं। हां, श्रीकृष्ण के विराट् रूप के बारे में एकादश अध्याय के अधिकांश श्लोकों के अर्थों में अपने सिद्धान्त के प्रतिपादनार्थ लगता है, जैसे खेंचातानी की गई हो।

इसी प्रकार सुगम और निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी भाष्यकार का मन्तव्य परम्परागत मंतव्यों के विपरीत है जैसा कि उन्होंने द्वादश अध्याय में व्याख्या की है। हां, यह जरूरी नहीं है कि परम्परागत अर्थ ठीक ही हो। भाष्यकार की नयी व्याख्या अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होती है। हां, कहीं-कहीं तो भाष्यकार ने चमत्कार कर दिखाया है। द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक में "धर्मार्थ चावेक्ष" की व्याख्या करते हुए धर्म की अत्यन्त युक्तिसंगत एवं विशद व्याख्या है। ऐसा सुन्दर विवेचन कम ही देखने को मिलता है। ठीक ऐसा ही सुन्दर विवेचन तृतीय अध्याय के 35 वें श्लोक "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः" का किया गया है। यह दृष्टिकोण सर्वथा नवीन एवं ठोस है। 43 वें श्लोक की व्याख्या सुन्दर व विशद है।

बेहतर होता कि पुस्तक के प्राक्कथन में इस नवीन भाष्य की आवश्यकता का स्पष्टीकरण दिया जाता ताकि सम्पूर्ण भाष्य के अध्ययन के लिए पाठक बौद्धिक रूप से तैयार हो पाता और उसे नये परिप्रेक्ष्य में देख पाता।

यों तो इस भाष्य ने पाठकों के समक्ष एक सर्वथा नवीन एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण पेश किया है पर स्थल स्थान पर "खींचातानी" परिलक्षित होती है जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है।

इन सब बातों के बावजूद इस की प्रकाशिका (प्रकाशक नहीं, क्योंकि वे पंडित हैं, यद्यपि पुस्तक में प्रकाशक ही छापा गया है।) धन्यवाद की पात्र हैं जिन्होंने इतने कम मूल्य में (केवल 15 रु०) इस अनमोल दीप को जनता को दिया और कहा कि देखो इसके प्रकाश में "गीता का रहस्य"। भटको मत। इस सजिल्द पुस्तक का मूल्य यदि दुगना भी होता तो भी बड़ी बात न थी। छपाई और गेट-अप तो अच्छे हैं पर कागज घटिया है। पर इतने कम मूल्य में बेहतर कागज नहीं लगाया जा सकता था।

पं० आर्य मुनी जी की विद्वता का लोहा तो मानना ही पड़ेगा। उनके युक्ति कौशल तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण भले ही आप उनसे सहमत हों अथवा न हों।

ब्रज लाल उनियाल

'एक विश्वास और' : डा० रमेश चन्द्र मिश्र, प्रकाशक: अलंकार प्रकाशन, 666 झील, दिल्ली-110051, मूल्य: बारह रुपए ; पृष्ठ संख्या : 164।

आज के प्रति व्यस्त जीवन में जब कि कविता छोटी और भावात्मकता की अपेक्षा वैचारिक अधिक हो गई उस समय कवि द्वारा खण्ड काव्य लिखने का साहस करना वास्तव में सराहनीय है। भूमिका की तो जितनी प्रशंसा की जाए, थोड़ी है। वह अपने में पूर्ण शोध-निबन्ध है और कवि के परिश्रम एवं योग्यता का प्रमाण भी। प्रस्तुत खण्ड में पौराणिक रामकथा के विश्वामित्र प्रसंग को लिए गया है। सम्पूर्ण कथा विश्वामित्र द्वारा राम-लक्ष्मण को अपने यज्ञों की रक्षा के लिए साथ ले जाने से वनगमन तक की हैं। लेकिन उसे आठ सर्गों में विस्तार मिला है। जैसाकि पुस्तक के शीर्षक से ही मालूम पड़ जाता है कि विश्वामित्र ही वह व्यक्ति या युग-नेता है जिनके सान्निध्य से राम जैसे युग-पुरुष का निर्माण हो सका और रावणी (असत्) वृत्तियों का नाश हुआ। विश्वामित्र का व्यक्तित्व कर्मठ और दृढ़ता का प्रेरक है जिससे 'राम' (केवल पुरुष नहीं बल्कि 'राम' वृत्ति) का निर्माण होगा।

इस पुस्तक में अधिकांश स्थलों को बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि आज का युग चमत्कारिता या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का युग नहीं रह गया अतः कवि ने उन घटनाओं को समझ कर यथार्थपरक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। जैसे विश्वामित्र का अनायास अयोध्या न पहुंचकर समारोह में पहुंचना और वहां राम के पराक्रम को देखकर उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राजा से मांगना। दूसरी घटना तो बहुत ही स्वाभाविक बन पड़ी है। 'नारी अहिल्या' शाप लगने से शिला नहीं बल्कि शिलावत हो जाती है। सहज भी है जिस नारी को लांछन लगा हो और जो पति द्वारा तिरस्कृत हो वह कांतिहीन और निष्क्रिय हो शिलावत हो ही जाएगी।

कुछेक घटनाएं ऐसी भी हैं जो कि रसाभास की स्थिति उत्पन्न करती हैं। सर्वप्रथम राजपुरोहित वसिष्ठ का अन्तःपुर के मामलों में दखल देना, मंथरा को समझाकर भेजना कि वह कैकेयी को भड़काए, साथ ही बार-बार अपने नाम को प्रकाशित न होने देने का वचन लेना, निश्चित ही विश्वामित्र के चरित्र को ऊंचे से ऊंचा बनाने के चक्कर में वसिष्ठ जैसे चरित्र में दोष उत्पन्न करने का प्रयत्न है। तात्कालिकता न रख कर, युग नेताओं (विश्वामित्र और वसिष्ठ) को वर्तमान में उतार दिया गया है।

समस्त काव्य में अतुकान्त छन्द शैली अपनाई गई है। भाषा अधिक संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी भावहीन नहीं पुस्तक में भाषा की दृष्टि से भी कुछ कमियां हैं जैसे 'बुद्धि-मुग्ध' शब्द का प्रयोग या 'पुष्य-चय' (निकले तब ऋषि पुत्र पुष्य-चय को') 'हेला' शब्द शृंगारशास्त्र में आंगिक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं नहीं समझ सकी कि प्रस्तुत पंक्ति में 'हेला' शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है—' कह गए हेलो में विश्वामित्र राजवंशीय आश्रय को।' इसके अतिरिक्त कुछ कमियां प्रूफ रीडिंग की है अधिकांश स्थानों पर 'ब' वर्ण की जगह 'व' का प्रयोग छपा है।

समस्त आलोचना के बाद यह कहने में मुझे कहीं भी संकोच नहीं है कि जिस महत् उद्देश्य को लेकर कवि चला है, उसे निभाने में पूर्ण सफल हुआ है। उद्देश्य पूर्ति के लिए उसने युग नेता के रूप में सशक्त चरित्र विश्वामित्र और राष्ट्र निर्माण हेतु श्रेष्ठ 'राम वृत्ति' का आश्रय ही नहीं लिया बल्कि अपना समर्पण भी उन्हीं को किया है :—

अर्पित है विश्वास अपना-
आग्नेय एवं सृजनशील परम्पराओं के विश्वस्त,
चैतन्य राष्ट्रपुरुष के माध्यम से
विश्व में व्याप्त—युवक राम को।

—प्रमिला शर्मा
बी-22 बी, कालकाजी,
नई दिल्ली-110019

●

खादी-ग्रामोद्योग: वार्षिकांक, अक्टूबर, 1976, सम्पादक: श्री युवेश चन्द्र शर्मा, प्रकाशक : खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई, पृष्ठ संख्या : 88, मूल्य: एक रुपया, वार्षिक चन्दा, : 5 रुपये।

पत्रिका ग्रामीण उद्योगों की मासिक पत्रिका है और प्रस्तुत अंक अक्टूबर 1976 का वार्षिकांक है। इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं में देश के 'विकास कार्यक्रम,' 'प्रदूषण', 'उद्योगों में प्रकृति-प्रदत्त संतुलन' आदि में ग्रामीण विकास की झलक है।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं की, ग्रामीण जीवन में निरन्तर बढ़ती आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी हमें इस पत्रिका से मिलती है।

पत्रिका के इस वार्षिकांक का सम्पादन व प्रकाशन अति-उत्तम है। भाषा सरल और सुबोध है। आवरण पृष्ठ सादगी का उद्बोधक एव आकर्षक है।

यह एक सफल ज्ञानवर्धक मासिक प्रत्रिका कही जा सकती है।

—पारसनाथ तिवारी

घोषणा

अपनी-अपनी संस्थाओं और पुस्तकालयों के प्रधानों से प्रमाणपत्र पेश करने पर छात्रों और अध्यापकों को जनवरी, 1977 से कुरुक्षेत्र के चन्दे पर सिर्फ 10 प्रतिशत की छट दी जाएगी।

व्यापार प्रबन्धक
प्रकाशन विभाग

शिलानगर में : कवि : श्यामसिंह शशि. प्रकाशक, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली-30, मूल्य : पन्द्रह रुपये, पृष्ठ संख्या 112.

'लहू के फूल' के बाद कवि का यह दूसरा कविता संग्रह है। इन कविताओं में ताजगी और अपनेपन की खुशबू है। कविताएं पाठक के दिलो-दिमाग कोझंझोड़ती हैं। इतनी मस्त कविताओं के होते हुए भी आश्चर्य है, कवि को राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी के आशीर्वाद की जरूरत महसूस हुई।

'स्वकथन' में कवि ने इस बात को स्वीकार किया है कि 'मुझ में बालमींकि से कालीदास तक, प्रसाद से निराला तक, शेक्सपियर से एजरापाउंड तक प्राचीन-नवीन, देश-विदेश के कितने सरस्वती-पुत्र जिंदा हैं, किंतु उसे विरासत में केवल कर्तव्यों का बोझ ढोने को मिला है, अधिकार नहीं।'

'औक्खा पहाड़ां-रा जीणा' चम्बा हिमाचल प्रदेश के लोकगीत की पक्तियां हिन्दी में नवीन प्रयोग है। इस कविता का अंश देखिए ....

मानव—
आदि मानव
बूढ़े-बच्चे-स्त्री पुरुष
लगता है. मानव और पशु एक हो गए हैं।
सब एक हो गए हैं—
आदिवासी की कमर ऊनी
रस्से ने पकड़ी है
जादू, टोने ने उसकी देह ही नहीं
समूची जिंदगी जकड़ी है
वंशी की धुन में लोकगीत की
कड़ी भर्राती है
औक्खा पहाड़ां-रा जीणा
फट्टि गए कपड़े छान्न पुराणी
पारे पारे बदलू ते बारे बारे पाणी
चौड़े मन्भु किहियां सोरणा
जिन्दे औक्खा पहाड़ां-रा जीणा '

'रात की कब्र' शीर्षक कविता का कैनवास बहुत विराट् है। इसमें कवि की मानसिक उत्थल-पुथल की झलक मिलती है—

करोड़ों उल्काएं
मेरे भीतर
रोज-रोज
टूटती हैं...

इसी प्रकार संमजन में भी कवि ने ब्राह्मण्ड को समेटने का प्रयास किया है।

जहां नए-नए बिम्ब उभरे हैं वहीं कहीं व्यंग्य भी उभरा है—बघनखा आदर्शों का पहन मानव के यांत्रिक हाथ आकाश में ऊंचे पहुंच गए हैं परन्तु बौना है। 'पाउडर पुते गोश्त'- 'नशे में धुत, 'महानगर में कठ-फोडवा', 'सामूहिक भोग' 'नये मानव की तलाश,' 'आधुनिकता का कैंसर', 'नहीं चाहिए चमत्कारी विज्ञान', 'एक और घूंट', 'कविता सौ साल बाद' आदि उल्लेखनीय हैं।

'सड़ांद-बदबू-दुर्गन्ध' में साम्प्रदायिकता पर करारी चोट की गई है।

कवि तनावों में घिरा है। उसकी ईमानदार तलाश का असर है कि जीवन की विसंगतियों में भी 'उसका दर्द जिंदा है।' वह चाटुकारिता व स्वार्थ की रंगीन दलदल में डूबना नहीं चाहता—

मुझे बस
भीड़ में खोया
मामूली मनुज ही रहने दो
मुझे कुछ और दिन
जी लेने दो ....

संवेदनशील कवि 'कचोट महसूसना आता है, कहना नहीं। चोट सहना आता है—देना नहीं।' ऐसी सादगी बहुत कम कवियों में देखने को मिलती है। तीखे अनुभव के सत्य को कौन झुठला सकता है — —

हर तरफ से
हर किसम से
सांप ने
इतना
डसा है
नाग काले का
जहर भी
अब
असर
करता
नहीं है। — (असर)

इस संग्रह की अधिकांश कविताएं आपातस्थिति से पहले की हैं। अंतिम कविताओं में 'होरी हंस पड़ा'—कवि का आम आदमी विश्वास दिलाता है —

नवीन भोर. नवीन किरण, नवीन दिशा
परिवर्तन कोई दोष नहीं होता।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन कविताओं में आधुनिक जीवन की गहरी छाप है।

पुस्तक की छपाई आकर्षक है। 'शिलानगर में' प्रत्येक पुस्तकालय के लिए ख्यालों के नए फूल हैं। प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं।

—कमला देवी
ई-97, सरोजिनी नगर
नई दिल्ली-110023.

'छाज ले लो छाज ! ' यह आवाज पाकिस्तान बनने से पहले बहावलपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के गांवों तक गूंजा करती थी । ब्यास नदी के आसपास रहने वाले अमृतसर जिले के टप्परीवास (खानाबदोश) 10-20 छाज बना कर चल पड़ते थे और गांव-गांव घूम कर पुराने छाजों की मरम्मत करते हुए दूर-दराज तक निकल जाते थे ।

पश्चिमी सीमा पार के गांवों में अब उक्त आवाज सुनाई नहीं देती । देश के अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांवों में यह आवाज आजादी के बाद से भी निरन्तर सुनाई देती रही है । परन्तु अब इसमें बहुत अन्तर आ चुका है । कल के छाज गांठने वाले आजकल छाज-व्यापारी बन चुके हैं । 'छाज ले लो छाज' का नारा लगाने वाले अब छाजों की मरम्मत करके ही पेट नहीं पालते । उनके कन्धों पर

छाज बुनती हुई टप्परवासी युवती

टप्परीवासों के दिन फिरे ★ बलराम दत्त शर्मा

टप्पर वासियों के समूह में बैंक मैनेजर (ठीक दाएं कुरसी पर)

जहां एक ओर छाज होती हैं वहां पिछले दो माह से, दूसरी ओर रंग-बिरंगी चादरें भी होती हैं । वे छाजों के साथ-साथ चादरें भी बेचने लग गए हैं ।

'अब ये टप्परीवास ब्यास गांव के पास स्थायी रूप से रहने लगे हैं । इनके भाग्य में इस क्रांतिकारी परिवर्तन का श्रेय निश्चित रूप से 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को जाता है, सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की ब्यास शाखा के प्रबन्धक श्री आर० के० वर्मा ने मुझे टप्परीवासों की नई बस्ती की ओर से जाते हुए बताया कि 'पहले हम आसान शर्तों पर कर्ज नहीं दे सकते थे । जैसे ही हम लोगों को गरीब और पिछड़े वर्ग की सहायता देने का अवसर मिला, हमें इसमें सुविधा हो गई । हमारी शाखा के मुख्य कैशियर सुरेन्द्र कुमार जेतली ने मेरा ध्यान इन लोगों की हालत की ओर आकर्षित किया । साथ ही नित्य शाम को टप्परीवासों को बैंक से कर्ज लेने की प्रेरणा दी ।'

Regd No. D(D)/98

"परन्तु इसमें प्रेरणा देने की क्या बात थी ? लोगों को कहीं से भी कर्जा मिले तुरन्त लेने दौड़ पड़ते हैं" मैंने कहा।

"परन्तु ये लोग इस तथ्य का अपवाद हैं, ये लोग बहुत डरते थे। सरकार से कर्जा लेना खतरा मोल लेना समझते थे" श्री वर्मा ने मुझे बताया।

उन्होंने आगे बताया कि इनमें से 24 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 500-500 रुपये कर्जा दिए गए।

टप्परीवासों की उस बस्ती में, जिसे छाजों को औद्योगिक बस्ती कहना उपयुक्त होगा, बड़े पैमाने पर छाजों के निर्माण का काम हो रहा है। टप्परीवासों के नेता नद्ढ़ा राम ने बताया, "अब हम लोग मजे से खाने कमाने लगे हैं। अब काफी मात्रा में हम छाज एकसाथ बनाकर ले आते हैं। साथ में चादरें भी ले जाते हैं। चादरें हम लुधियाना से सीधे मिलों से खरीदते हैं और गांवों में जाकर बेचते हैं। दुकानदारों की भांति अधिक कमाई नहीं करते, इसलिए हमारा माल खूब बिक जाता है।"

श्री नद्ढ़ा राम की पत्नी जागीर कौर जो ब्यास ग्राम पंचायत की सदस्या हैं, कब पीछे रहने वाली थीं। उन्होंने बताया कि हम औरतें, लड़कियां और बूढ़े तो छाजों के निर्माण का काम करते हैं जबकि बस्ती के सारे जवान बिक्री पर चले जाते हैं। जब तक वे लौटते हैं, हम उनके लिए छाजों का स्टाक तैयार रखते हैं। बैंक से मिली रकम से हमारे छाज बनाने वाले कारखानों में दिन में लगातार काम चलता रहता है। अब हमारे शुभ-दिन आ गए हैं और अब हम रोटी कपड़ा से दुःखी नहीं हैं।

इसके उपरान्त श्रीमती जागीर कौर ने चायपान से हमारा स्वागत किया।

बैंक मैनेजर ने उन्हें बताया कि यह सब प्रधानमन्त्री के नए आर्थिक कार्यक्रम की देन है।

बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मिले इस कर्ज से ब्यास के टप्परीवासों को रोजगार के विकास के लिए साधन जुटाने में सहायता तो मिली ही, सभी बूढ़ों, बच्चों, औरतों और युवतियों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। ब्यास लौटने पर श्री वर्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने ब्यास के सभी छः रिक्शा चालकों को भी रिक्शा मालिक बना दिया है।

पो० छालीवाल वेद
वाया ढिलवां
जि० कपूरथला (पंजाब)

नया सवेरा

रघुवीर सोलंकी

बीस-सूत्र के
बीस दीपकों से
जगमगा उठा है देश
देश हमारा।
नहीं रुकेंगे
प्रगति के पथ पर
उठे हैं जो कदम
चाहे घन हो घोर अंधेरा।
हाथ में उठाली हमने मशाल
चीर कर रख देंगे अंधेरे को
बदलेगी अब कुहासे भरी सांझ
और होगा नया सूरजी सवेरा

त्याग निद्रा
ले अंगड़ाई
जाग उठा है
यौवन सारा।
अंधेरा गरीबी का
छंटने लगा है
हुआ है
समता का नया सवेरा।
बीस सूत्र के
बीस दीपकों से
जगमगा उठा है
देश हमारा।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित और
केसर क्यारी इलेक्ट्रिक प्रेस, फरीदाबाद-121003 में मुद्रित।